Filing No:-070110900711 2022.

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL

BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 394 of 2022

IN THE MATTER OF:-

Pushpendra Kumar ...Applicant

Versus

Bock Development Officer, Kadaura
& Ors. ...Respondents

INDEX

NDOH:- 17/11/2022

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply On Behalf Of Respondent No. 21, District Magistrate, Jalaun	1-26
2.	**ANNEXURE – 1** True copy of notification no. 4324-37-2-2018-5(53)/2018 dated 2.01.2019 wherein the state government directed all concerned to capture stray cows and put them in make shift gaushalas is annexed with the petition.	27-36
3.	**ANNEXURE - R/21-1.** True copy of letter pertaining directions passed by DM regarding upkeep of temporary gaushalas dated 12/1/2022.	37-38
4.	**ANNEXURE - R/21-2** True copy of the letter dated 11.05.2022 wherein Block Development Officer was appointed as nodal officer.	39
5.	**ANNEXURE - R/21-3** True copy of the inspection Report dated 11.06.2022 wherein chief medical officer (Veterinary department) was directed to provide proper treatment to the cows.	40

6.	**ANNEXURE - R/21-4** True copy of the letter no. 314/ST-CDO/gauvansh letter/ 2022-23 dated 15.06.2022 wherein directions were passed by principle secretary government of Uttar Pradesh to the DM to make gaushalas that can accommodate 1000-2000 cows.	41
7.	**ANNEXURE - R/21-5** True copy of the inspection report dated 09.06.2022 wherein sudden inspection was done and compliance with CPCB guidelines was found along with photographs is annexed herewith as	42-51
8.	**ANNEXURE - R/21-6** True copy of the follow up letter no. 414/ST-CDO/district inspection/2022-23 dated 30.06.2022 seeking clarification whether the flaws pointed out during last inspections were duly complied with or not.	52
9.	**ANNEXURE - R/21-7** True copy of the report of meeting held on 29.07.2022 wherein all officers concerned were directed to follow guidelines for the safe upkeep of cows.	53
10.	**ANNEXURE - R/21-8** True copy of the letter dated 31.07.2022 wherein directions were issued for shifting of stray cows to the various gaushalas as well as the chief medical officer (Veterinary)/ Additional District Magistrate (Revenue) directed to provide status report on daily basis.	54-55
11.	**ANNEXURE - R/21-9** True copy of the inspection report dated 08.08.2022 wherein directions passed by the DM to cure irregularities in Gaushala Chaunk.	56

12.	**ANNEXURE - R/21-10** Copy of the letter dated 26.08.2022 wherein DM issued directions for protection of cows from lumpy skin disease.	57
13.	**ANNEXURE - R/21-11** True copy of the letter dated 23.08.2022 wherein directions were issued by DM to all the EO Nagar Palika to remove cows from the roads within 3 days.	58
14.	**ANNEXURE - R/21-12** True copy of the letter dated 02.09.2022 wherein DM issued letter to identify the land on which grand gaushalas are to be opened with a capacity of 2000-3000 cows.	59
15.	Vakalatnama	60
16.	Service Proof	61

Filed By

Mr. Shwetank Sailakwal
Mr. Vibhor Verdhan
Mr. Narendra Kumar Srivastava
Mr. Zaid Raza
Ms. Zeb Hasan
Advocate of the Respondents No. 21
B-3, 3rd floor, Opp. Kashmiri Park,
Jangpura Extension, New Delhi:- 110014
Mobile:- 971196148/999080333
Email: - vibhor_verdhan@yahoo.com
shwetanksailakwal@gmail.com

Place:- New Delhi
Date:- 10/10/2022

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 394 of 2022

IN THE MATTER OF:

Pushpendra Kumar .....Applicant

Versus

Block Development Officer, Kadaura
& Ors. .....Respondents

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT No. 21
DISTRICT MAGISTRATE OF DISTRICT JALAUN

I, Chandani Singh, D/o Amar Chand Singh Aged 33 currently working as District Magistrate at O/o District Magistrate, Place Orai, District Jalaun, Uttar Pradesh Presently at N. Delhi do hereby solemnly affirm and declare as under:-

That I am the Answering Respondent No 21 herein in the above-mentioned matter and am fully conversant with the facts and circumstances of the present case.

PRELIMINARY OBJECTIONS:

1. That the Applicant has filed the present petition under section 18 (1) read with sections 14, 15, 16 & 17 of the National Green Tribunal Act, 2010 seeking a ban on the slaughtering of animals at meat shops and to implement guidelines of

seeking a ban on the slaughtering of animals at meat shops and to implement guidelines of Prevention of Cruelty to Animals (Slaughterhouse) rules, 2001, Food Safety and Standards Act, 2006. That some of the provisions, whose violation has been alleged by the Applicant, are not applicable on the answering respondent in the following facts and circumstances of the case mentioned herein below.

2. **PRELIMINARY SUBMISSIONS:**

a. That in the instant case, applicant has brought before this Hon'ble Tribunal the issue of condition of stray Cows and how they are dealt with by the concerned authorities in the State.That the Applicant has alleged that no due care is provided to the cows and most of them are dying because of negligence. The allegations leveled are false in totality which is evident from the facts and documents mentioned herein below.

NOTARY OF INDIA Supreme Court of India Regd. No.2277 Date 22/10/2022

b. That the answering Respondent diligently followed the guidelines as prescribed from time to time by the State Government and also made various communications for safe upkeep of animals in Gaushalas.

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

c. That there was huge disturbance due to stray cows who were old and left on roads as they were no more useful for the owners. To counter this problem State Government came up with a notification no. 4324-37-2-2018-5(53)/2018 dated 2.01.2019 wherein the State Government directed all concerned to capture these cows and put them in make shift gaushalas. The copy of notification is annexed with the petition as ANNEXURE 1.

d. That in compliance of the aforesaid notification various temporary gaushalas were made in different blocks District Jalaun. That these gaushalas were regularly monitored by the office of the answering respondent which is evident from the letter dated 12.01.2022 wherein various directions were passed for the safe upkeep of temporary gaushalas. A true copy of letter dated 12/1/2022 is Annexed herewith as **ANNEXURE R21-1.**

e. That on 11.05.2022, Block Development Officer was appointed as Nodal Officer whose duty was to purchase fodder for the cows through e-tendering

NOTARY Supreme Court of India Regd. No.2277 Ex. Date. 22/10/2022

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

as well as through public participation. A true copy of the letter dated 11.05.2022 is annexed herewith as **ANNEXURE R21-2.**

f. That on 11.06.2022, during the inspection of gaushala by the office of answering Respondent, some flaws were pointed out and Chief Medical Officer (Veterinary Hospital) was directed to provide proper treatment to the cows. A true copy of the inspection Report dated 11.06.2022 is annexed herewith as **ANNEXURE R21-3.**

g. It is pertinent to mention herein that the office of answering Respondent was directed by the learned Principle Secretory Government of Uttar Pradesh through video conferencing to make grand gaushalas which can accommodate 1000-2000 cows. The office of the answering Respondent was further directed to identify the land within a period of one week.A true copy of the letter no. 314/ST-CDO/gauvansh letter/ 2022-23 dated 15.06.2022 is annexed herewith as **ANNEXURE R21-4.**

h. That even sudden inspections were also done by the office of the answering Respondent. That one

NOTARY Supreme Court of India Regd. No. 2277 Date. 22/10/2022 INDIA

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन

such inspection was done on 9.06.2022 at Kanha Gaushala, Municipal Corporation, Jalaun wherein all the facilities as per CPCB guidelines were thoroughly checked and directions were issued for completion of the same on urgent basis. A true copy of the inspection report dated 09.06.2022 along with photographs is annexed herewith as **ANNEXURE R21-5.**

i. That on 30.06.2022, theBlock Development Officer issued follow up letter to ascertain that whether the flaws pointed out during inspections were duly complied with or not. A true copy of the follow up letter no. 414/ST-CDO/district inspection/2022-23 dated 30.06.2022 is annexed herewith as **ANNEXURE R21-6.**

j. That on 29.07.2022 at around 6 pm an assessment meeting was held in the collectorate for assessment of temporary and permanent gaushalas where all officers concerned were directed to follow guidelines for the safe upkeep of cows. A true copy of the report of meeting held on 29.07.2022 is annexed herewith as **ANNEXURE R21-7.**

NOTARY Supreme Court of India Regd. No.2277 Ex. Date 22/10/2022

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

k. That on 31.07.2022, it was found by the office of the answering Respondent that various animals were roaming on road and directions were issued with immediate effect for shifting of cows to the various gaushalas as well as the Chief Medical Officer (Veterinary)/Additional District Magistrate (Revenue) were directed to provide status report on daily basis. That further two weeks' time was granted for compliance of the directions. A true copy of the letter dated 31.07.2022 is annexed herewith as **ANNEXURE R21-8.**

l. That on 08.08.2022 sudden inspection was done at Gaushala Chaunk, District Jalaun where some irregularities were found and to cure the same directions were issued to the concerned persons. A copy of the inspection report dated 08.08.2022 is annexed herewith as **ANNEXURE R/21-9**.

NOTARY
Zaki Ahmad Khan
Supreme Court of India
Regd. No.2277
Ex. Date. 22/10/2022
GOVT.

m. That there was sudden increase in lumpy skin disease in animals and hence on 26.08.2022 the office of answering Respondent issued directions for protection of cows from lumpy skin disease. A true copy of the letter dated 26.08.2022 is annexed herewith as **ANNEXURE R21-10.**

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

n. That taking cognizance of the news published in "Dainik Gramin"newspaper dated 23.08.2022, directions were issued to all the EO Nagar Palika to remove cows from the roads within 3 days by the office of the Respondent. A true copy of the letter dated 23.08.2022 is annexed herewith as **ANNEXURE R/21-11.**

o. That as per the directions issued by the Ld. Principal Secretary for identification of land for gaushalas, on 02.09.2022 the office of the answering Respondent issued letter to identify the land on which grand gaushalas are to be opened with a capacity of 2000-3000 cows. A true copy of the letter dated 02.09.2022 is annexed herewith as **ANNEXURE R/21-12**.

NOTARY Supreme Court of India Regd. No 2277

p. That in the facts and circumstances mentioned herein above, it is quite evident that answering Respondent performed their duties diligently and followed guidelines, issued warnings, taken steps for identification of land, done surprise inspections in order to ascertain the safe upkeep of animals in gaushalas.

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

q. That the Application filed by the applicant before this Hon'ble Tribunal is misconceived as well as the allegations leveled against the answering Respondent that the gaushalas falling under District of Jalaun are not complying with the applicable guidelines, regulations and by-laws are false, baseless and devoid of merits.

r. That all the gaushalas that operate under the jurisdiction of the answering Respondent have properly complied with the applicable guidelines, regulations and by-laws, as far as same are applicable on the answering Respondents.

s. That the Applicant made baseless allegations against the answering Respondent by twisting the facts with a motive to harass the answering Respondent for the reasons best known to him. The same can be ascertained from the fact that the Applicant is alleging that none of these gaushalas have water treatment plant or concrete flooring without appreciating that the Blocks that have been made party to the present case, mostly contain temporary gaushalas. That the notification no. 4324/37-2-2018-5(53)/2018 dated 02.01.2019 mentions that the temporary

NOTARY GOVT. OF INDIA Supreme Court of India Regd. No. 2277 Ex. Date. 22/10/2022

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

gaushalas need to be built in such a way that they can be moved/shifted at any time. That the aforesaid condition makes it clear that there cannot be any installation of any treatment plant or concrete flooring for temporary gaushalas.

t. That the aforesaid facts and circumstances show that the Applicant has not approached court with clean hands and the present application has been filed by the applicant deliberately in order to have illegal gains from the Respondent. That on the same ground the application of the Applicant is liable to be dismissed at the threshold.

3. **PARA WISE REPLY:**

i. That the averment made by the Applicant in paragraph 1 that there is irregularity, inaction, helplessness and mismanagement on part of Block Development Officers, Executive Officers and District Magistrate of Jalaun, is false therefore denied. That as per the documents produced by the answering Respondent there are regular checks of the Temporary Gaushalas established in the District of Jalaun. That the answering Respondent is regularly giving instructions to the Block Development Officers

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

&Executive Officers for proper upkeep of Gaushalas. That over and above, the answering Respondent is under bounden duty to follow guidelines or directions passed by this Hon'ble Commission. That the answering Respondent has already issued directions for identification of land for construction of permanent Gaushalas which can accommodate upto 2000-3000 cows.

ii. That the contents of paragraph 2-3 are a matter of record and need no reply.

iii. That the averment made by the Applicant in paragraph 4 that the gaushalas are in very bad pitiable state due to negligence, mismanagement and inaction on part of the Block Development Officers, Executive Officers and the answering Respondent herein is false and therefore denied. That further the averment made by the applicant that there is non-availability of fodder, shelter space, to save cows/bulls/infants is false and therefore denied. That as per the documents produced by the answering Respondent there are regular checks of the Temporary Gaushalas established in the District of Jalaun. That the answering Respondent is regularly giving instructions to the Block Development Officers

NOTARY GOVT. OF INDIA

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन

&Executive Officers for the safe keep of Gaushalas. That above all this, the answering Respondent will be pleased to follow any guidelines or directions passed by this Hon'ble Tribunal.

iv. That the averment made by the applicant in paragraph 5 that there were media reports of Dainik Jagran dated 09.01. 2022,with headline *"Pittable condition of Gaushals, No fodder, No water, marsh and filth"; and* another report dated 15.01.2022, with headline ***"cattle dies from hunger and thirst, no fodder, tragic condition of gaushala"*** pertaining to the Gaushala of Jalaun Block, is false and therefore denied. That as per the documents produced by the answering Respondent there are regular checks of the Temporary Gaushalas established in the District of Jalaun. That the answering Respondent is regularly giving instructions to the Block Development Officers & Executive Officers for proper upkeep of Gaushalas. That over and above, the answering Respondent is ready to abide by guidelines or directions passed by this Hon'ble Tribunal..

NOTARY GOVT. OF INDIA Regd. No. 2277 Supreme Court of India Ex. Date 22/10/2022

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

v. That the averment made by the applicant in paragraph 6 that the applicant visited gaushalas situated at villages Margaya, Panduara, BagiParausa, Udanpur, Itaura, Lamsar, Harchandpur, Kanhakheda,Badagaon, Jamrehi, Bohdpura, Pindari, Kailiya, Shekhpur, Rampura, Ghusiya, etc. of block Kadaura, Maheba, Madhaugad, Jalaun, Konch, Nadigaon, Rampuraof District Jalaun in months of January, February and March of 2022 is false and therefore denied.

vi. That the averment made by the Applicant that in the Gaushalas of District Jalaunthe cows get trapped in wires fencing in open and are without the basic essential facilities like concrete floor cannot be sustained as most of the Gaushalas of Jalaun are temporary gaushalas. That the answering Respondent is regularly giving instructions to the Block Development Officers & Executive Officers for proper upkeep of Gaushalas. That above this, the answering Respondent is under a duty to follow guidelines or directions passed by this Hon'ble Tribunal.

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन

vii. That the averment made by the Applicant in paragraph 8-9 that CPCB Guidelines have not been complied with by the answering Respondent is false and therefore denied. That the answering Respondent is regularly giving instructions to the Block Development Officers & Executive Officers for proper upkeep of Gaushalas. That moreover, the answering Respondent isduty bound to follow guidelines or directions passed by this Hon'ble Tribunal.

viii. That the averment made by the Applicant that all Gaushalas/NirashritgauAshray Sthal of District Jalaun discharge the cattle dung along with wastewater into the canals/drains, leading to clogging is false and therefore denied. That the BDO's working on instruction of the answering Respondent herein have strictly complied with the applicable guidelines, regulations and by-laws. Further the contention of Applicant that the waste is released in ponds and the nearby river of "Betwa" is wrong and therefore denied. The averment of the application that no gaushalas have installed treatment plants in the gaushalas is not sustainable as the gaushalas in Jalaun are mostly temporary Gaushala. That as per

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

Government order 4324/37-2-2018-5(53)/2018 dated 02.01.2019 temporary gaushalas need not have treatment plants and concrete flooring. That the That the BDO's working on instruction of the answering Respondent herein have followed the applicable guidelines, regulations and by-laws regarding environment protection, the answering Respondent do not wash dung & fodder residue etc. into drains in order to avoid clogging of drains. That the gaushalas have adequate resources infrastructure to ensure proper handling, treatment and disposal of waste.

ix. The averment by the Applicant that Gaushalas/ NirashritgauAshray sthal don't have concrete floor is unsustainable as according to the Government order 4324/37-2-2018-5(53)/2018 dated 02.01.2019 the gaushalas that have been established temporarily need to be such that they can be moved from the present location to any other location anytime. That in this given circumstance it is impossible to install a water treatment plant or concrete flooring for the gaushalas, as most of the gaushalas in Jalaun are temporary in nature.

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

x. That the averment made by the Applicant that the answering Respondents have not complied with the Solid Waste Management rules 2016, CPCB guidelines for environmental management is false and therefore denied. That the BDO's working on instruction of the answering Respondent herein have complied with all the applicable guidelines, regulations and by-laws regarding environment protection.

xi. That the averment made by the Applicant that there is no common treatment plant is unsustainable, as according to Government order 4324/37-2-2018-5(53)/2018 dated 02.01.2019 the gaushalas need to be established in a way that they can be moved from the present location to any other place at any time. That this kind of a setup doesn't allow the gaushalas to have a permanent treatment plant. That the nature of most of the Gaushalas in Jalaun is temporary and therefore cannot be a treatment plant. However, in permanent Gaushala most of the facilities are available which is also evident from the photographs produced by the answering respondent.

GOVT. OF INDIA
Ex. Date 22/10/2022
Regd. No.2277
of India
Supreme Court
NOTARY

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

xii. That the averment made by the Applicant that gaushalas use Parali of paddy (stems of residual of crop) as fodder is false and therefore denied. That the averment by the Applicant that the defendants have violated CPCB guidelines is false and therefore denied. That the Respondent gaushalas of Jalaun feed their cattle fresh fodder and straw which is easy to chew for livestock and does not generate methane which is harmful for the environment. That the applicant has averred that it is a violation of Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and the same falls beyond the jurisdiction of this Hon'ble Tribunal.

xiii. That the averment made by the Applicant that none of the Gaushalas /NirashritGauashray Sthal have taken consent from UPPCB is false and therefore denied. That officials are regularly visiting the gaushalas.

xiv. That the averment made by the Applicant that the BDO's working on instruction of the answering Respondent hereinhave not provided proper shelter for the cows/calf/bulls etc. and that in absence of adequate shelter many cow/bull/calf die inside these gaushalas due to heavy cold of

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

nights of winter whose bodies rot for many days inside these Gaushalas is false and therefore denied. That the number of cattle that have died since the past year in the gaushala are very less and the same is proved through the records produced by the Respondent BDO's of different blocks in district Jalaun.

xv. That the averment made by the Applicant that in absence of concrete floor and the presence of mud, the cows of these temporary cowsheds get diseases of the foot and mouth called Khurpaka/Muhpaka is false and therefore denied. That the whole gaushalas in Jalaun have Veterinary doctors who visit the gaushalas twice a week, as well as, anytime if there is an emergency to check the cattle. That most of the gaushalas in Jalaun are temporary in nature and as per Government Order via notification no. 4324/37-2-2018-5(53)/2018 dated 02.01.2019, the temporary gaushalas must be such that they can be moved/shifted from their place at any time. That it is due to this reason that most gaushalas in Jalaun don't have concrete flooring.

NOTARY GOVT. OF INDIA Supreme Court of India Regd. No.2277 Ex. Date 22/10/2022

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

xvi. That the averment made by the Applicant in paragraph 10 are false and therefore denied. That no such communication was received by the answering Respondent regarding the pitiable condition of Gaushalas in Jalaun.

xvii. That the averment made by the Applicant that Gaushalas NirashritGauAshray Sthals running in District Jalaun are immune, compromised with infectious disease-causing agents like Listeria sp., Streptococcus sp., Staph ylococcus sp. and Corynebacterium sp. predominating due to the unhygienic environment is false and therefore denied. That the Respondent gaushalas of Jalaun are clean and the BDOs of the District of Jalaun under instruction of answering Respondent have maintained all the gaushalas as per the applicable guidelines, regulations and by-laws. That the cattle are not living in any unhygienic environment. That the veterinary doctors visiteach gaushala in Jalaun every week twice and anytime there is an emergency, therefore there is no question of the cattle being immune compromised. That the averment of the Applicant that these shelters did not vaccinate their animals at all, is false and therefore denied.

GOVT. OF INDIA
Ex Date 22/10/2022
Regd No.2277
of India
Supreme Court

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

That the averment by the Applicant that these shelters might act as potential reservoirs of the disease threatening the local cattle population is false therefore denied. As the cattle get regularly vaccinated and the medical waste is thrown away in a paper box into a pit. That moreover vide communication dated 26.08.2022 answering Respondent issued directions for protection of cows from lumpy skin disease.

xviii. That the averment made by the Applicant that the gaushalas are a hub of flouting environmental norms rules and regulation is false and therefore denied. That the BDO's working under the instructions of answering Respondent have made sure to follow all theapplicable guidelines, regulations and by-laws in conformity with the environment laws. That as per the documents produced by the answering Respondent there are regular checks of the Temporary Gaushalas established in the District of Jalaun. That the answering Respondent is regularly giving instructions to the Block Development Officers & Executive Officers for proper upkeep of Gaushalas. That over and above, the answering Respondent is under an obligation to follow

GOVT. OF INDIA
Ex. Date. 22/10/2022
Regd. No.2277
of India
Supreme Court

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

guidelines or directions passed by this Hon'ble Tribunal. That the answering Respondent has already issued directions for identification of land for construction of permanent Gaushalas which can accommodate upto 2000-3000 cows.

xix. That the contention made by the Applicant that in District Jalaun (UP) illegal slaughter houses and meat shops are running in Urban and Village areas under the protection of UPPCB/Gram Panchayats/Nagar Panchayat Nagar Palika. That this averment is false and therefore denied. That there are no slaughterhouses in the District Jalaun.

xx. That the averment made by the applicant that in Order passed by NGT in OA No. 339/2013 (Krishnakant Singh hoon&Anr. v. Union of India &Ors.) dated 23.12.2014 a complete ban was imposed on the illegal slaughter houses and slaughtering of animals is inapplicable in the present matter. That this and all other cases related to illegal slaughter houses are not applicable in the present matter as there are no slaughter houses in the District of Jalaun.

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

4. REPLY TO GROUNDS

21

A. That the averment made by the Applicant in paragraph (a) and (b) that the BDO's working under instructions of answering Respondent failed to implement the mandatory CPCB "Guidelines for Environmental Management of Gaushalas/Dairy Farms issued by the CPCB issued in July 2020 post the directions given by Hon'ble NGT in OA No.46 of 2018 and "Mannual on Management of Gaushalas" by Indian Council for Agricultural Research, New Delhi vide dated 03.05.2016 is false and therefore denied.

B. That the judgement reproduced by the Applicant namely :Rishnkant Singh hoon&Anr. v. Union of India &Ors. dated 23.12.2014 is not applicable to the present case as there are no slaughterhouses in District Jalaun.

C. That the averment made by the Applicant that Biosecurity measures in the shelters need to be implemented to prevent shelters from becoming reservoirs of infections, parasitism, and zoonotic diseases and that Specific shelter protocols need to be formulated at a national level and enforcement of compliance of these protocols

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन

ensured through a central governing body is untenable in this matter as all the gaushalas are cleaned properly on a regular basis and the waste is handled by the BDO's and Executive Officers working under instructions of answering Respondent as per the applicable guidelines, regulations and by-laws and environment norms. That the guidelines released by the government are being complied with by the Respondent gaushalas of Jalaun. That as per the documents produced by the answering Respondent there are regular checks of the Temporary Gaushalas established in the District of Jalaun. That the answering Respondent is regularly giving instructions to the Block Development Officers & Executive Officers for proper upkeep of Gaushalas. That over and above, it is incumbent on the answering Respondent to follow guidelines or directions passed by this Hon'ble Tribunal.

GOVT. OF INDIA Ex. Date: 22/10/2022 Regd. No 2277 of India Supreme Court NOTARY

D. That the averment made by the Applicant that there is improper management and disposal of wastes, especially in limited spaces of urban areas is false and therefore denied. That no offensive smell of cattle is coming from the gaushalas. That the gaushalas in the Jalaun

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन

District working under the instructions of the answering Respondent are properly complying with the applicable guidelines, regulations and by-laws. That the gaushalas are regularly cleaned and the environment of the gaushala is hygienic.

E. That the averment made by the Applicant that BDO's and Executive Officers working under the instructions of answering Respondents failed to implement the mandatory "guidelines for environmental management of gaushalas/dairy farms" issued by CPCB and "Mannual on Gaushalas" by ICAR is false and therefore denied. That as per the documents produced by the answering Respondent there are regular checks of the Temporary Gaushalas established in the District of Jalaun. That the answering Respondent is regularly giving instructions to the Block Development Officers & Executive Officers for proper upkeep of Gaushalas. That over and above, it is the answering Respondent's obligation to follow guidelines or directions passed by this Hon'ble Tribunal.

GOVT. OF INDIA
Ex. Date. 22/10/2023
Regd. No 2277
of India
Supreme Court
NOTARY

(चाँदनी सिंह)
'जिलाधिकारी,जालौन

F. That the contents of paragraph 12 are not relevant to the present matter and hence need no reply.

G. That the contents of paragraph 13-14 are matter of record hence need no reply.

5. <u>REPLY TO THE PRAYER CLAUSE:</u>

That the averments made by the Applicant in the prayer are false, incorrect and therefore denied. That the prayer of the Applicant must be rejected at threshold.

RESPONDENT

Through

Mr. Shwetank Sailakwal
Mr. VibhorVerdhan
Mr. Narendra Kumar Shrivastav
Mr. Zaid Raza
Ms. Zeb Hasan
Mr. Rahul Mishra
B-3, 3rd floor, Opp. Kashmiri Park,
Jangpura Extension, New Delhi:- 110014
Mobile:- 999080333/9711961483
Email: -shwetanksailakwal@gmail.com
vibhor_verdhan@yahoo.com

Place:- New Delhi
Date:- 10/10/2022

PRAYER

It is humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to dismiss the Application filed by the Applicant with exemplary cost as the Applicant has not approached this Hon'ble Tribunal with clean hands and misleading the Hon'ble Tribunal by concealing the true and correct facts.

RESPONDENT

Through

Mr. Shwetank Sailakwal
Mr. VibhorVerdhan
Mr. Narendra Kumar Shrivastav
Mr. Zaid Raza
Ms. Zeb Hasan
Mr. Rahul Mishra
B-3, 3rd floor, Opp. Kashmiri Park,
Jangpura Extension, New Delhi:- 110014
Mobile:- 999080333/9711961483
Email: -shwetanksailakwal@gmail.com
vibhor_verdhan@yahoo.com

NOTARY GOVT. OF INDIA

Place:- New Delhi
Date:- 10/10/2022

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at N. Delhi on 30 day of Sept, 2022 that I, the above named deponent to hereby verify that the contents of the above stated paras are true to my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

NOTARY GOVT. OF INDIA

ATTESTED 30/09/2022
NOTARY DELHI

I identified the deponent has sig. in my presence

संख्या– 4324 / सैंतीस–2–2018–5(53) / 2018

Annexure A-1

27

प्रेषक,

डा0 अनूप चन्द पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
6– समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
7– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8– निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9– समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
10– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनाँक 02 जनवरी, 2019

विषय:– उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का अख्यापन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 19वीं पशुगणना 2012 के अनुसार कुल 501.82 लाख गोवंशीय+महिषवंशीय पशुओं में से 195.57 लाख गोवंशीय पशु हैं। कृषि कार्य में मशीनीकरण के कारण स्वदेशी / अवर्णित गोवंश के नर वत्स का उपयोग कृषि कार्य में किये जाने की परिपाटी प्रदेश से लगभग समाप्त हो गयी है। विदेशी नस्ल के नर वत्स का उपयोग उनमें डील (हम्प) नहीं होने के कारण कृषि कार्य में नहीं होता है इस कारण वर्तमान में गोवंशीय नर वत्स अनुपयोगी होते जा रहे हैं। इन नर गोवंश को पशु स्वामी बेसहारा छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त ये निराश्रित गोवंश अनियंत्रित प्रजनन द्वारा अनुपयोगी / कम उत्पादकता के गोवंश की उत्पत्ति करते हैं जो निराश्रित पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी करते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे निराश्रित / बेसहारा गोवंश (नर+मादा) की संख्या में कमी किया जाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें चलाकर निराश्रित एवं बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान एवं संख्या में कमी लाने का लगातार प्रयास कर रही है तथापि इस ज्वलन्त समस्या के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति प्रख्यापित की जा रही है।

2– नीति का उद्देश्य:–

1. निराश्रित / बेसहारा गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराया जाना।
2. आश्रय स्थल पर रखे गये गोवंश हेतु भरण–पोषण की व्यवस्था।
3. संरक्षित गोवंश को विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था तथा नर गोवंश का बध्याकरण कराना।
4. संरक्षित मादा गोवंश को प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना।
5. गोवंश से उत्पादित दूध, गोबर, कम्पोस्ट आदि के विक्रय व्यवस्था से आश्रय स्थल को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी (self sustainable) बना कर जनमानस को निराश्रित / बेसहारा गोवंश की समस्या से छुटकारा दिलाना।

प्रति
अधिकारी
सेवा आयोग
खनऊ

3– नीति को क्रियान्वित करने की कार्ययोजना:–

पशु अतिचार अधिनियम–1871 (संशोधित–21 अगस्त, 1996) में दिये गये प्राविधानों व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम–1960 की धारा–4 के आधीन स्थापित भारतीय जीव जन्तु कल्याण

बोर्ड पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश पत्रांक–9–3/2018–19/पी0सी0ए0, दिनांक–12 जुलाई, 2018 के अनुसार निराश्रित पशुओं के संरक्षण एवं भरण–पोषण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है।

3.1 उक्त दिशा–निर्देशानुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी संपूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना/व्यवस्था एवं प्रबन्धन/संचालन स्थानीय निकाय यथा ग्राम पचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम (जहाँ जैसी स्थिति लागू हो) द्वारा की जायेगी।

3.2 ये स्थानीय संस्थायें अपने स्तर से स्वयं सेवी संस्थाओं अथवा सी0एस0आर0 में आने वाली कम्पनियों की सहायता इन अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबन्धन/संचालन में ले सकते हैं।

3.3 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी संपूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना का कार्य संबन्धित सुसंगत स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा।

3.4 अस्थायी आश्रय स्थलों के स्थापना हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था मनरेगा, संबन्धित सुसंगत स्थानीय निकायों की संचित निधि (यथा–ग्राम पंचायत निधि/क्षेत्र पंचायत निधि/जिला पंचायत निधि, नगर निकायों की निधियाँ आदि), वित्त आयोग, खनिज विकास निधि, रायफल निधि, सांसद क्षेत्र विकास निधि, विधायक क्षेत्र विकास निधि आदि से करायी जा सकती है।

3.5 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के संचालन, प्रबन्धन व भरण–पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा यथासंभव अपने स्वयं के संसाधनों से की जायेगी।

3.6 गोवंश के भरण–पोषण में निकायों में उपलब्ध संसाधनों में कमी के दृष्टिगत अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर संबन्धित स्थानीय निकाय की माँग पर शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से वित्त पोषण किया जायेगा।

3.7 शासन स्तर से अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबन्धन/संचालन/भरण–पोषण विषयक वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के स्थलीय/भौतिक निरीक्षण के उपरान्त संरक्षित गोवंश की संख्या के 70 प्रतिशत की संख्या को आधार मानते हुए शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित धनराशि के आधार पर भरण–पोषण हेतु अनुदान देय होगा। यह व्यवस्था कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक–15.11.2017 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निर्गत पशुधन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 2557/सैंतीस–2–2017–5(16)/2017, दिनांक–15 दिसम्बर, 2017 के अनुसार की जायेगी।

3.8 प्रत्येक जनपद में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 1000 निराश्रित/बेसहारा गोवंश पशुओं के अस्थायी आश्रय निर्माण हेतु विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं दायित्व (मुख्यालय व फील्ड सहित):–

3.8.1 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु भूमि चिन्हांकन व भूमि उपलब्ध कराना:–

क्र0 स0	कार्य	विभाग	संबन्धित अधिकारी एवं कार्य
3.8.1	ग्राम पंचायत स्तर/नगर निकाय स्तर पर निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी आश्रय स्थल बनाने योग्य निर्विवादित भूमि (जिसमें चारागाह/गोचर भूमि भी सम्मिलित है) उपलब्ध कराना। सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, कृषि, गन्ना विकास आदि सहयोगी विभागों में भूमि यदि ग्राम स्तर पर उपलब्ध है तो उसे भी चिन्हाँकित करना।	राजस्व, नगर विकास (मुख्य नोडल विभाग प्रदेश मुख्यालय स्तर पर) एवं न्याय, कर निबन्धन विभाग तथा अन्य सहयोगी विभाग जैसे सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, कृषि, गन्ना विकास विभाग आदि	प्रदेश मुख्यालय पर 1. मुख्य नोडल विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव व विभागाध्यक्ष 2. लाइन विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव व विभागाध्यक्ष 3. फील्ड स्तर पर (क) मण्डलायुक्त, (ख) जिलाधिकारी, (ग) उप–जिलाधिकारी (घ) लाइन विभागों के मण्डल एवं जनपद स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी 4. नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी /नगर आयुक्त

सत्य प्रति
गो सेवा अधिकारी
उ० प्र० गो सेवा आयोग
लखनऊ

3.8.2 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में अवस्थापना सृजन (जो कभी भी संपूर्णतः हटाया जा सके):—

क्र0 सं0	कार्य	विभाग	संबन्धित अधिकारी एवं कार्य
3.8.2 (क)	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की भूमि को उपयोग योग्य बनाना 1— ऊसर, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना 2—भूमि समतलीकरण करना 3—जल संरक्षण कार्य/ तालाब निर्माण 4—खाई निर्माण (प्राकृतिक बाड़)	कृषि विभाग नगर विकास विभाग ग्राम्य विकास विभाग पंचायती राज विभाग समाज कल्याण विभाग	मनरेगा योजना की मार्गनिर्देशिका के अनुबन्ध—36 के अनुसार मनरेगा एवं डेरी तथा पशुपालन विभाग के मध्य कन्वर्जेन्स के अंतर्गत चारागाह कार्य अनुमन्य कार्य श्रेणी में सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत भूमि समतलीकरण, चारे हेतु घास का रोपण, पशुओं के प्रयोग हेतु तालाब की खुदाई, वृक्षारोपण का कार्य किया जा सकता है। प्रदेश मुख्यालयः संदर्भित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव व विभागाध्यक्ष (राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के निर्देशों के क्रम में) फील्ड स्तर पर संबन्धित विभागों के मण्डल/जनपद/तहसील/विकासखण्ड स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी तथा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त गण (जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के निर्देशों के क्रम से)
3.8.2 (ख)	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर वृक्षारोपण	वन विभाग / पंचायती राज /ग्राम्य विकास/ नगर विकास विभाग	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मास्टर—सर्कुलर—2018—19 के पैरा—7.6.8 के अनुसार वृक्षा रोपण अनुमन्य कार्य श्रेणी सम्मिलित है। संभागीय वनाधिकारी, संबन्धित क्षेत्राधिकारी (वन), जिला पंचायत राज अधिकारी, नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी आदि द्वारा
3.8.2 (ग)	अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों पर जल की व्यवस्था कराना	सिंचाई विभाग / लघु सिंचाई विभाग / नेडा / नगर विकास	पशु आश्रय स्थल पर पानी की समुचित व्यवस्था करना, सोलर पंप आधारित नलकूप की व्यवस्था, पशुओं हेतु पीने के पानी की व्यवस्था।
			अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई/ लघु सिंचाई विभाग), परियोजनाधिकारी—नेडा, नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी
3.8.2 (घ)	अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों पर चारा उपलब्ध कराना	ग्राम्य विकास/पंचायती राज्य विभाग / नगर	गोवंश आश्रय स्थल पर पशुओं के चारे एवं भूसे की व्यवस्था करना,

सत्य प्रति
(signature)
गो सेवा अधिकारी
उ० प्र० गो सेवा आयोग
लखनऊ

		विकास विभाग	भूसा रखने की व्यवस्था। यदि ग्राम पंचायतें इस कार्य को अपनी वार्षिक कार्य योजना (जी०पी०डी०पी०) में शामिल कर अनुमोदित करती हैं तो यह कार्य ग्राम पंचायत निधि के अंतर्गत संसाधनों के उपलब्धता के अनुसार कराया जा सकता है। नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी
3.8.2 (ङ)	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर सौर ऊर्जा/प्रकाश व्यवस्था	नेडा /नगर विकास विभाग / ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज	गोवंश आश्रय स्थल क्षेत्र में समुचित प्रकाश व्यवस्था करना। अतिरिक्त शासकीय अनुदान प्राप्त होने पर यह कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा सकता है। परियोजनाधिकारी–नेडा, नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी

3.8.3 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर अन्य सेवाएँ:–

3.8.3 (क)	गोवंश आश्रय स्थल पर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था	गृह विभाग/ग्राम्य विकास/पंचायती राज्य विभाग / राजस्व विभाग/ नगर विकास	गोवंश आश्रय स्थल पर पशुओं की देखरेख एवं सुरक्षा हेतु पशु रक्षक/श्रमिक की व्यस्था करना। श्रमिक द्वारा गोवंश को खिलाने की व्यवस्था, गोबर एकत्र करना, पशुओं को पानी पिलाना, दूध निकालना, हरा चारा काटना तथा सफाई व्यवस्था करना। अतिरिक्त शासकीय अनुदान प्राप्त होने पर यह कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा सकता है। नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, संबन्धित उपजिलाधिकारी
3.8.3 (ख)	गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं की पशु चिकित्सा सेवाएं	पशुपालन विभाग	संरक्षित गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा, कृमिनाशक दवापान, बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान के साथ साथ मृत पशुओं का शव परीक्षण इत्यादि का कार्य पूर्णतः निःशुल्क (लेवी से मुक्त) किया जायेगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पशुपालन विभाग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण में

सत्य प्रति

3.9 प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निकाय/स्थानीय निकाय क्षेत्रों में पिंजरापोल, कॉजी हाउस का पुनर्जीवीकरण कराया जाये। इनमें केयर टेकर/पर्यवेक्षण अधिकारी की अस्थायी/स्थायी व्यवस्था करते हुए इन्हें संचालित किया जायेगा। गायों का दूध निकाल कर उन्हें एवं उनके गोवत्स को छोड़ने वाले कृषकों/पशुपालकों का चिन्हांकन ग्राम स्तरीय विभागीय कार्मिक (यथा–राजस्व विभाग के लेखपाल, पुलिस विभाग के चौकीदार, ग्राम विकास के ग्राम विकास अधिकारी, पंचायती राज विभाग के पंचायतराज अधिकारी आदि) द्वारा किया जायेगा।

3.10 पशुपालको/कृषकों के अपने पालतू पशु सड़कों व सार्वजनिक स्थलों तथा अन्य व्यक्तियों की निजी भूमि पर संचरण हेतु यदि छोड़ा जाता है, तो इस दृष्टिकोण से स्थानीय पुलिस प्रशासन/जिला प्रशासन तथा नगर प्रशासन द्वारा उचित आर्थिक दण्डारोपण की कार्यवाही सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत की जायेगी।

3.11 ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारियों और शहरी क्षेत्रों में नगर विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा सक्रिय सहभागिता से जहाँ–जहाँ अप्रयुक्त खाली भूमि उपलब्ध है, उसे संबंधित विभाग के माध्यम से उस भूमि पर अस्थायी (किसी भी समय सम्पूर्णतया हटाया जा सकता है) गोवंश आश्रय स्थल निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

4— गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन व प्रबन्धन को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी (self sustainable) बनाने हेतु किये जाने वाले कार्य:–

4.1 गोवंश आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाने हेतु उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड–नियोजन विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, स्किल डेवलपमेन्ट मिशन, ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग के सहयोग से बायोगैस, कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट, पंचगव्य आधारित औषधियों/उत्पादों यथा साबुन, अगरबत्ती, मच्छर भगाने की क्वायल, गोनाइल (गोमूत्र से बनी फिनायल) औषधियों आदि का उत्पादन एवं विक्रय करना।

4.2 गोबर एवं गोमूत्र आधारित जैविक कृषि एवं बागवानी द्वारा।

4.3 गोशाला के गोबर व गोमूत्र से बने खाद व कीटनाशक के विक्रय द्वारा।

4.4 गोबर से बने गमलों के विक्रय द्वारा।

4.5 गोबर से बने लट्ठों का शमशान घाट में व सर्दियों में अलाव जलाने हेतु।

4.6 उद्यमियों को प्रेरित कर गोबर–गोमूत्र के सदुपयोग से बड़े बायोगैस/सी0एन0जी0 प्लाण्ट लगवाना।

4.7 शून्य बजट पर गौ–आधारित प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपनाकर गोबर एवं गोमूत्र से प्राकृतिक तरीके से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत तथा कीटनाशक का निर्माण करके उनका कृषि कार्यों में प्रयोग करने पर गोवंश आश्रय स्थलों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी तथा वे स्वावलम्बी हो सकेंगे।

5— अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबन्धन के अनुश्रवण हेतु प्रशासकीय व्यवस्था:–

गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबन्धन हेतु विकास खण्ड स्तरीय, तहसील स्तरीय, जनपद स्तरीय तथा मण्डल स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति का गठन एवं प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन संलग्नक–1 के अनुरूप किया जाता है।

6— अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, संचालन व प्रबन्धन हेतु प्रस्तावित वित्त व्यवस्था/स्रोत।
~~शासन द्वारा प्रस्तावित नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु वित्त पोषण के संबंध में, सम्यक~~ विचारोपरान्त, निम्न निर्णय लिये गये:–

सत्य प्रति

6.1 मण्डी परिषद से मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली 02 प्रतिशत की धनराशि प्रस्तावित कार्य पर व्यय किया जाये।

6.2 आबकारी विभाग द्वारा वार्षिक राजस्व के अतिरिक्त आय सेस लगाकर प्राप्त की जायेगी। इस सेस से प्राप्त धनराशि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, व्यवस्था, संचालन व प्रबंधन हेतु चिन्हांकित मदों में व्यय की जायेगी।

32

6.3 प्रदेश में सार्वजनिक उद्यम विभाग के अंतर्गत लाभकारी निगमों व अन्य कार्यदायी संस्थाओं (यथा–उत्तर प्रदेश सेतु निगम, राजकीय निर्माण निगम, यूपीएसआईडीसी आदि) को होने वाले लाभ में 0.5 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सीएसआर के रूप में इस प्रयोजन हेतु व्यय की जाये।

6.4 राज्य सरकार के अधीन यूपीडा आदि संस्थाओं द्वारा अधिरोपित किये जा रहे टोल टैक्स में 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि "गौ कल्याण सेस" के रूप में अधिरोपित करते हुए इस प्रयोजन हेतु व्यय किया जाये।

6.5 आवश्यकतानुसार विभागीय योजनाओं में प्राप्त वित्त पोषण से डवटेलिंग करायी जायेगी।

7– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, उपरोक्त प्रस्तर 3–5 में अंकित कार्ययोजना को क्रियान्वित करने हेतु निम्न निर्णय लिये गये हैं:–

7.1 प्रस्तर–3.1–3.8 के कियान्वयन व प्रस्तर–3.8.1 के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा अस्थायी (किसी भी समय सम्पूर्णतया हटाने योग्य) गोवंश आश्रय स्थल के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने विषयक सुसंगत विभागीय अधिनियमों, नियमावलियों, उपविधियों, शासनादेशों में सक्षम स्तर से अशोधन (Modification) व संशोधन (Amendment) की कार्यवाही की जायेगी।

7.2 प्रस्तर–3.8.2 के अनुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में अवस्थापना सृजन (जो कभी भी सम्पूर्णतः हटाया जा सके) हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना पर सैद्धान्तिक अनुमोदन के साथ ही संबंधित विभागों को इस हेतु सक्षम स्तर से निर्णय कराने हेतु अधिकृत किया जाता है।

7.3 प्रस्तर–3.8.3 (क) के अनुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर सुरक्षा एवं अन्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु चिन्हांकित विभाग पशु रक्षक/श्रमिक की व्यवस्था हेतु सक्षम स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन व साथ ही संबंधित विभागों को इस हेतु सक्षम स्तर से निर्णय हेतु अधिकृत किया जाता है।

7.4 प्रस्तर–3.8.3(ख) के अनुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं की पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

7.5 प्रस्तर–4 के अनुसार गोवंश आश्रय स्थलों को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाने के साथ ही संबंधित विभागों को इस हेतु सक्षम स्तर से निर्णय हेतु अधिकृत किया जाता है।

7.6 प्रस्तर–5 के अनुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन, प्रबंधन के अनुश्रवण, मूल्यांकन हेतु संलग्नक–1 के अनुसार गठित प्रशासकीय व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। विशेषतः मंडल स्तरीय समिति द्वारा सघन अनुश्रवण किया जाये व जनपद स्तरीय समिति में जनप्रतिनिधियों से आवश्यक सुझाव आदि भी लिये जायें।

7.7 प्रस्तर–3 के अधीन प्रस्तावित अस्थायी गो आश्रय स्थलों पर रखे जाने वाले पशुओं का चिन्हांकन व पंजीकरण की भी व्यवस्था की जाये व इसमें यथासंभव सूचना प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाये।

7.8 संलग्नक–1 में प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति द्वारा आवश्यकतानुसार निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु अनुदान उपलबध कराये जाने विषयक मानक व प्रक्रिया भी निर्धारित किया जा सके।

8– उपरोक्त निर्णयों में कार्यहित में परिवर्तन हेतु मा० मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

9– प्रस्तावित नीति में प्राविधानित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाय।

10– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन हेतु उपरोक्त नीति के अनुसार कियान्वयन करने हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही शीर्षस्थ प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(डा० अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

सत्य प्रति

गो सेवा अधिकारी

33

8. वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी — सदस्य
9. उप संभागीय अधिकारी (कृषि प्रसार) — सदस्य

समिति के कर्तव्य एवं दायित्व

- विकास खण्ड स्तरीय समिति द्वारा किए जा रहे उक्त वर्णित कार्यों की समीक्षा।
- विकास खण्ड स्तरीय समिति को प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
- उपरोक्त व्यवस्था उपरान्त भी गोवंश निराश्रित न हो इसे सुनिश्चित किया जाना।
- यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा पशुओं को छोड़ा जाता है तो इस संबन्ध में कार्यवाही किया जाना। कृषक/पशुपालक को प्रेरित किया जाना कि इस प्रकार का कार्य न करें जिससे समाज को कठिनाईयों का सामना करना पड़ें।

3. <u>जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति</u>: प्रथमतः तीन माह तक बैठक माह में न्यूनतम दो बार उसके पश्चात् प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक प्रस्तावित हैं।

1. जिलाधिकारी — अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक — सदस्य
3. मुख्य विकास अधिकारी — सदस्य
4. नगर आयुक्त नगर निगम — सदस्य
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी — सदस्य सचिव
6. परियोजना निदेशक (डी.आर.डी.ए.) — सदस्य
7. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत — सदस्य
8. समस्त उप-जिलाधिकारी — सदस्य
9. अधिशासी अभियन्ता-सिंचाई — सदस्य
10. अधिशासी अभियन्ता-लघु सिंचाई — सदस्य
11. प्रभागीय वनाधिकारी(सामाजिक वानिकी) — सदस्य
12. जिला पंचायतराज अधिकारी — सदस्य
13. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी — सदस्य
14. जिला कृषि अधिकारी — सदस्य
15. जिला उद्यान अधिकारी — सदस्य
16. डी.डी.एम. (NABARD) — सदस्य
17. मा0 जनप्रतिनिधिगण सम्बन्धित जनपद — विशेष आमंत्री सदस्य

समिति के कर्तव्य एवं दायित्व

- विकास खण्ड/तहसील स्तरीय समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा।
- तहसील स्तरीय समिति को प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
- अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु वित्तीय प्रबन्धन
- उपरोक्त व्यवस्था उपरान्त भी गोवंश निराश्रित न हों इसे सुनिश्चित किया जाना।
- यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा पशुओं को छोड़ा जाता है तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना। कृषक/पशुपालक को प्रेरित किया जाना कि इस प्रकार का कार्य न करें जिससे समाज को कठिनाईयों का सामना करना पड़ें।

सत्य प्रति

4. <u>मण्डल स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति</u>: प्रथम तीन माह में न्यूनतम दो बार तत्पश्चात् प्रत्येक माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है।

1- मण्डलायुक्त — अध्यक्ष
2- पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक — सदस्य
3- स्थानीय निकाय, नगर विकास विभाग के मण्डल

स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी

	स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी	सदस्य
4–	अपर निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य सचिव
5–	उप निदेशक, पंचायती राज विभाग	सदस्य
6–	मुख्य अभियन्ता, संबंधित मण्डल, सिंचाई विभाग	सदस्य
7–	वन संरक्षक, वन विभाग	सदस्य
8–	उप निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
9–	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों से संबंधित अन्य सुसंगत विभागों के मण्डल स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारीगण	सदस्य

समिति के कर्तव्य एवं दायित्वः–

- जनपद स्तरीय समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा।
- जनपद स्तरीय समिति को प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
- अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु वित्तीय प्रबन्धन
- उपरोक्त व्यवस्था उपरान्त भी गोवंश निराश्रित न हो इसे सुनिश्चित किया जाना।
- यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा पशुओं को छोड़ा जाता है तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना। कृषक/पशुपालक को प्रेरित किया जाना कि इस प्रकार का कार्य न करें जिससे समाज को कठिनाईयों का सामना करना पड़े।

5: प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समितिः

मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समस्त संबन्धित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं निदेशक के साथ– प्रथमतः तीन माह तक बैठक माह में न्यूनतम एक बार उसके पश्चात् प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है। पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन नोडल विभाग की भूमिका निभाएगा।

सत्य प्रति

[signature]

गो सेवा अधिकारी
उ० प्र० गो सेवा आयोग
लखनऊ

35

पृ0सं0—4324(1)/सैंतीस—2—2018— तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 पशुधन राज्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त उप निदेशक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

02.1.19

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

सत्य प्रति

गो सेवा अधिकारी
उ0 प्र0 गो सेवा आयोग
लखनऊ

पृ0सं0—4324(1)/सैंतीस—2—2018— तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 पशुधन राज्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त उप निदेशक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

02.1.19

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

सत्य प्रति

गो सेवा अधिकारी
उ0 प्र0 गो सेवा आयोग
लखनऊ

37

Annexure-R21-1

कार्यालय जिलाधिकारी,

जालौन स्थान उरई।

276

पत्र संख्या : — /ओ0एस0डी0

दिनांक : जनवरी 12 2022

समस्त खण्ड विकास अधिकारी/
समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें,
जनपद जालौन।

अपर जिलाधिकारी(वि0रा0)
जालौन स्थान उरई 13/1/2022

जनपद में संचालित अस्थायी/स्थायी गौशालाओं/गौ–आश्रय स्थलों/कान्हा गौशालाओं का जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों/गौशालाओं हेतु नामिति नोडल अधिकारियों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि जनपद की विभिन्न गौशालाओं में कीचड उपलब्ध है जिससे सर्दी के कारण कतिपय गौशालाओं में गौवंश की मृत्यु होने के प्रकरण संज्ञान में आ रहें है। इसके अतिरिक्त श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर, पूर्व जिला प्रमुख राष्ट्रीय गौ रक्षा आन्दोलन समिति द्वारा पत्र दिनॉक 10.01.2022 प्रस्तुत करते हुए उक्त आशय के प्रकरण संज्ञान में लाये गये है तथा इस समस्या का निदान किये जाने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

अतः अपने क्षेत्राधिकार की गौशालाओं में यह सुनिश्चित करा लें कि किसी भी अस्थायी/स्थायी गौशालाओ/गौ–आश्रय स्थलों/कान्हा गौशालाओं में जल भराव/कीचड की समस्या विद्यमान न रहें और कोई गौ–वंश सर्दी के कारण बीमार न होने पाये।

संलग्नक– उपरोक्त।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी, जालौन।

पत्र पृष्ठांकन संख्या 324 /ओ0एस0डी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–

2. मुख्य विकास अधिकारी जालौन स्थान उरई।
3. अपर जिलाधिकारी(वि0एवं रा0) जालौन स्थान उरई।
4. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद जालौन।
5. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जालौन स्थान उरई।
6. जिला विकास अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन स्थान उरई।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी, जालौन।

यद्यपि गौशाला बहुत बड़े क्षेत्र में बनाई गयी है। अतः गौशाला परिसर में रिक्त पड़े क्षेत्र में "हर घर तिरंगा" व "आजादी का अमृत महोत्सव" के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा इस गौशाला में बृक्षारोपण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय और इस परिसर में इस प्रकार के वृक्ष रोपित कराये जायें जो शीघ्र ही बड़े होकर छाया प्रदान कर सकें।

गौशाला के क्षेत्र को देखते हुए गौवंश के संरक्षण हेतु मात्र एक कर्मचारी तैनात रखना पर्याप्त नही कहा जा सकता है। अतः ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव से अपेक्षा की जाती है कि गौशाला में मनरेगा अथवा ग्राम निधि से एक कर्मचारी/श्रमिक रख लिया जाय जो गौशाला में पर्याप्त सफाई व्यवस्था रखते हुए संरक्षित गौवंश का रख-रखाव सुनिश्चित करें।

उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि गौवंश का अभी टीकाकरण नहीं कराया गया है और न ही टैगिंग की गयी है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह संबंधित पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित करें कि वह गौशाला में संरक्षित पशुओं की अनवरत देख-रेख करते हुए उनका आवश्यकतानुसार उपचार सुनिश्चित करें। साथ ही गौशाला में संरक्षित गौवंश का टीकाकरण कराये जाने के साथ-साथ चलाये जा रहे अभियान के तहत ग्राम के अन्य पशुओं का भी टीकाकरण कराया जाना सुनिश्चत करें।

गौशाला से प्रस्थान करते समय ग्राम प्रधान द्वारा गौशाला से संबंधित अभिलेख मंगवाये गये, जिनके अवलोकन से विदित हुआ कि अभिलेखों का रख-रखाव अद्यावधिक नहीं पाया गया । साथ ही रजिस्टर पर न तो पेजिंग की गयी है और न ही सक्षम अधिकारी द्वार रजिस्टर को प्रमाणित ही किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षा की जाती है वि वह अभिलेख अद्यावधिक कराया जाना सुनिश्चत करायें तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी किये जायें ताकि इन रजिस्टरों कोई विचलन किये जाने की सम्भावनाएँ न रहें।

सम्यक रूप में गौशाला में सफाई का अभाव पाया गया। गौशाला में जल भराव व समस्या का निराकरण कराये जाने एवं सफाई सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता है।

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन।

Annexure-R/21-2 39

कार्यालय–जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई।

पत्रांक 147 /एसटी–सीडीओ/गौशाला पत्रा0/2022–23 दिनांक 11 मई 2022

आदेश

जनपद में अस्थायी और स्थायी गौआश्रय स्थलों में भूसा के प्रबन्धन के लिये श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि तत्काल समस्त खण्ड विकास अधिकारियों से भूसा की मांग का आकलन जो पूर्व में किया गया है, उसका आकलन करते हुये जेम पोर्टल अथवा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से भूसा क्रय करके उसे संग्रहित किया जायेगा। इसके साथ–साथ दान के माध्यम से भी लोगों से भूसा संग्रहित किया जाना है और विकास खण्ड परिसर अथवा गौआश्रय स्थल पर जहाँ पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो, वहाँ भूसा भण्डारण के लिये कोपा का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करेगें जिससे वर्षा ऋतु में भूसा खराब न हो। उक्त के अतिरिक्त राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित चारागाह की भूमि पर खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा स्थलीय पर्यवेक्षण करके इस पर हरे चारे/नेपियर घास की बुवाई का कार्य भी सुनिश्चित किया जायेगा। भूसा के क्रय और भण्डारण के लिये अन्तिम तिथि 31 मई 2022 निर्धारित की गयी है। अतः प्रत्येक दशा में ई–टेण्डरिंग करके एक सप्ताह में उक्त कार्य पूर्ण कर लिया जाये जिससे कि 31.05.2022 तक भूसा क्रय भण्डारण हो सके। उक्त कार्य में श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी नोडल अधिकारी के सहयोग के लिये मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी और समस्त खण्ड विकास अधिकारियों का आवश्यक सहयोग लिया जायेगा।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
जनपद–जालौन

पृष्ठांकन संख्याः– 147 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–मुख्य विकास अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
2–अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) जालौन स्थान उरई।
3–समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद–जालौन।
4–श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, नोडल अधिकारी, जालौन स्थान उरई को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
5–मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जनपद जालौन।
6–समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जनपद जालौन।(द्वारा–सी0वी0ओ0)
7–जिला कृषि अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
8–समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–जालौन।

जिलाधिकारी
जनपद–जालौन

Annexure-R/21-3

निरीक्षण के दौरान गौशाला परिसर में गोबर इकट्ठा पाया गया। अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि गोबर का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करायें। निरीक्षण के दौरान उपस्थित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह संरक्षित गौवंश का नियमित परीक्षण करायें तथा बीमार पशुओं का उपचार सुनिश्चित कराते रहें।

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन।

Annexure R21-3

कार्यालय जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

पत्र संख्या : 961 /ओ0एस0डी0 दिनांक : जून 11 2022

प्रतिलिपि :–

1. अपर जिलाधिकारी(वि0एवं रा0) जालौन स्थान उरई।
2. उप जिलाधिकारी जालौन।
3. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जालौन स्थान उरई को अनुपालनार्थ।
4. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद जालौन को अनुपालनार्थ।

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन।

Annexure-R/21-4

41

कार्यालय– जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई।

पत्रांक 314 /एसटी–सीडीओ/गौवंश पत्रा0/2022–23 दिनांक 15 जून,2022

समस्त उप जिलाधिकारी,
जनपद–जालौन।

मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में मुख्य सचिव महोदय उ0प्र0 शासन द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग में निर्देश दिये गये है कि प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक वृहद गौशाला का निर्माण कराया जाये, जिसकी क्षमता 1000 से 2000 गौवंशों को संरक्षित किये जाने की हो।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के भीतर भूमि का चिन्हांकन करते हुये अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

पृ0सं0 :– 314 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–मुख्य विकास अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
2–मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जालौन स्थान उरई।

जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

42

Annexure-R/21-5

निरीक्षण टिप्पणी कान्हा गौशाला नगरपालिका परिषद जालौन।

आज दिनांक 09.06.2022 को अपरान्ह 4.00 बजे नगर पालिका परिषद जालौन द्वारा संचालित कान्हा गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी जालौन एवं अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद जालौन श्री डी0डी0 सिंह उपस्थित रहे।

अधिशासी अधिकारी द्वारा सज्ञानित कराया गया कि इस गौशाला का निर्माण गाटा संख्या 19 रकवा 0.943 हेक्टेयर अर्थात 2.09एकड़ में कराया गया है। इस गौशाला के निर्माण हेतु रूपया 1.64 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी थी, जिससे गौशाला में दो टीन शैड, भूसा घर, चाहर दीवारी, स्टाफ रूम, पेयजल व्यवस्था, एवं चरही आदि का निर्माण कार्य कराया गया है। पेयजल व्यवस्था हेतु गौशाला परिसर में बोर कराया गया है तथा उसमें समरसेबिल की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। गौ-शाला में प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई गयी है। आवश्यक निर्माण कार्य होने के उपरान्त ही गौशाला को उपयोग में ले लिया गया है, आगणन के अनुसार जो कार्य अवशेष रह गये हैं उनका भी निर्माण शीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा।

निगरानी 13.06.22 (609)

बिन्दु संख्या 4A गौशालाओं के लिये बनायी गयी चाहर दीवारी

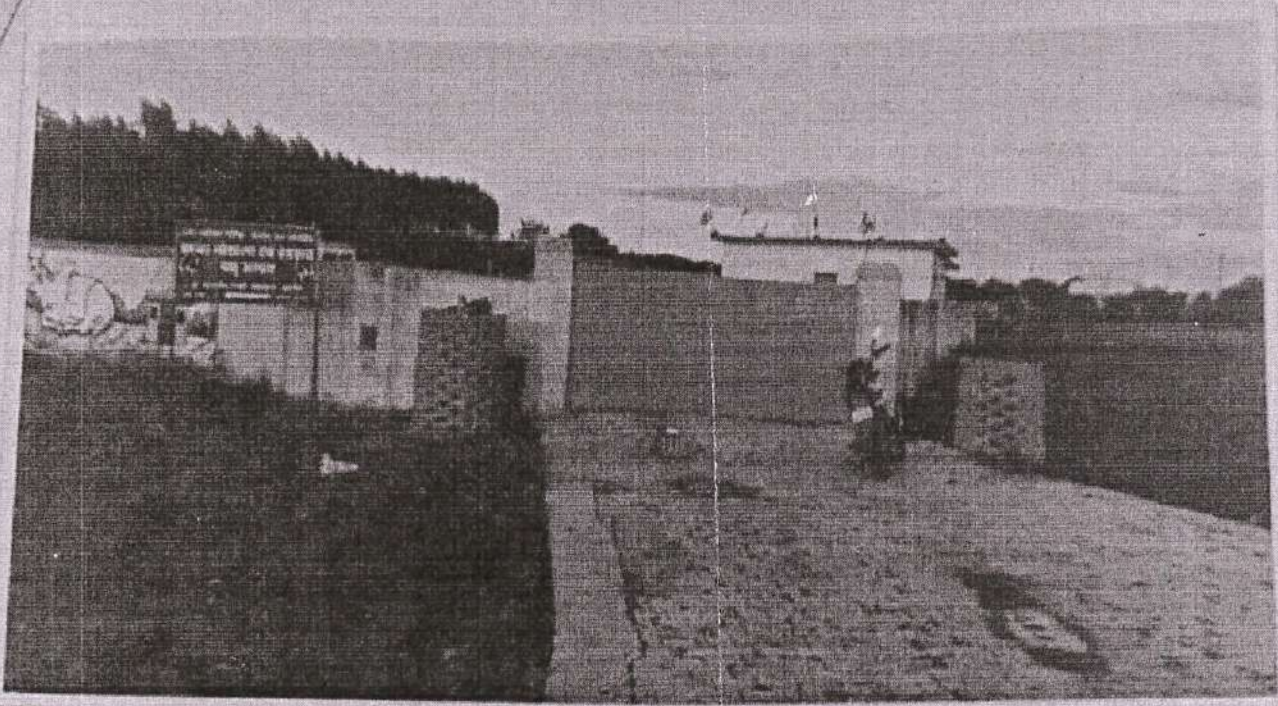

DUPTY C.V.O
JALAUN

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जालौन

44

बिन्दु संख्या 4 C स्थाई कान्हा गौशाला आवागमन वेन्टिलेशन आदि

DUPTY C.V.O
JALAUN

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जालौन

बिन्दु संख्या 4 D- पृथ्क–पृथ्क शैड/पट्टिका

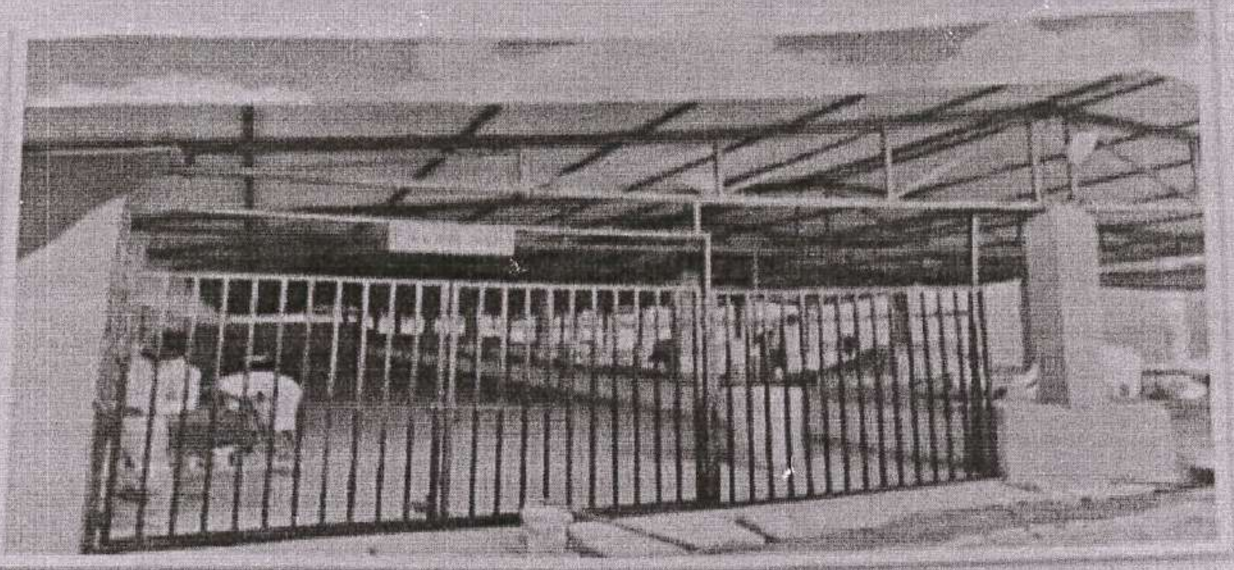

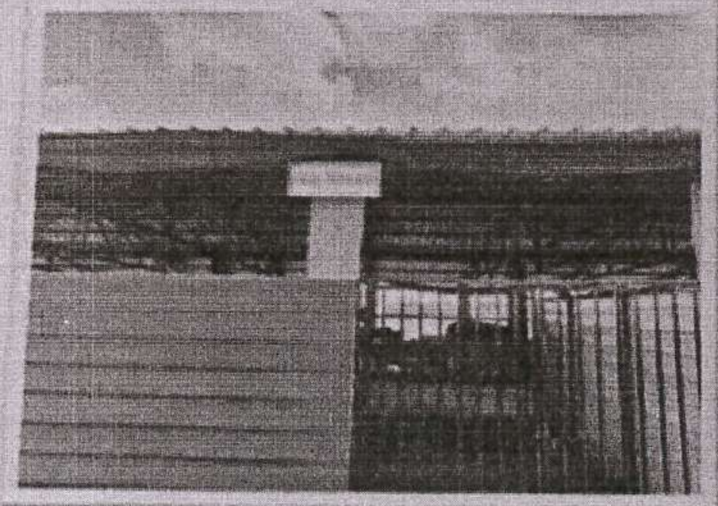

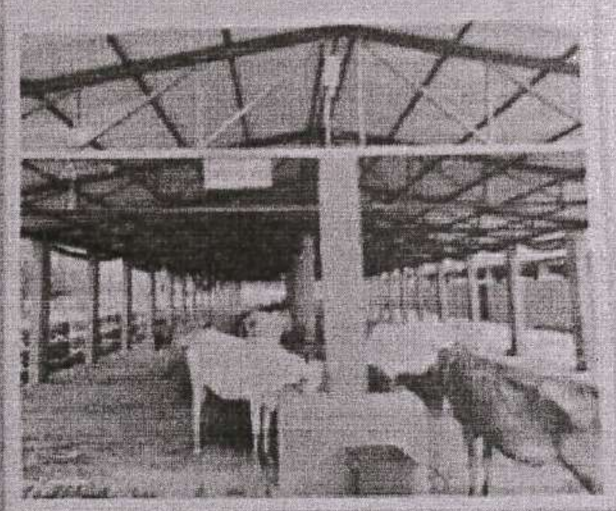

बीमार गौवंशों हेतु निर्माणाधीन शैड

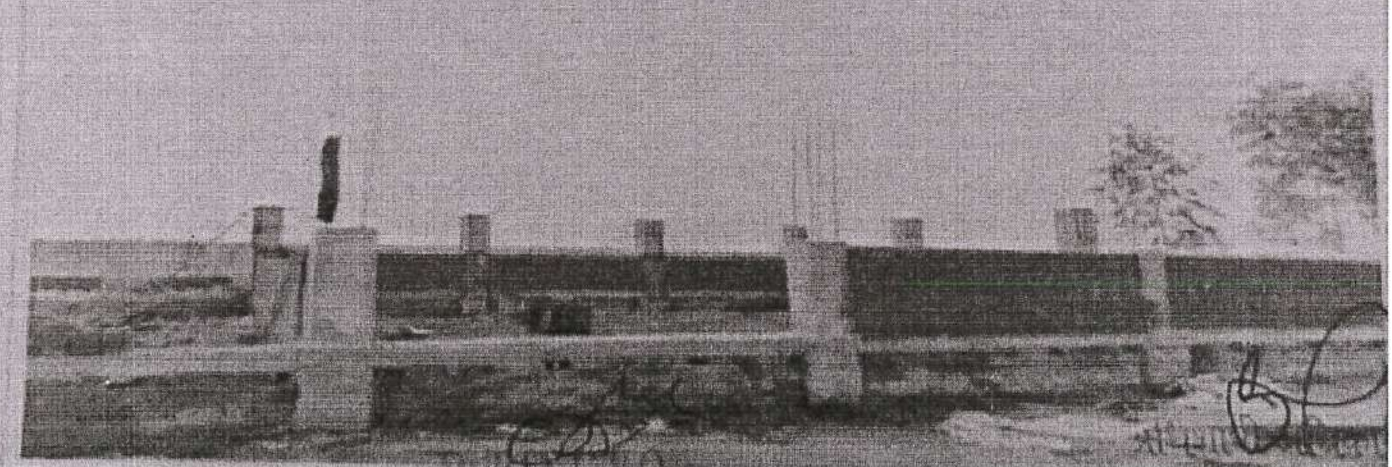

JALAUN

बिन्दु संख्या 7 पशु चिकित्सक दौरा अन्तराल

DEPUTY C.V.O
JALAUN

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जालौन

बिन्दु संख्या 8 टीकाकरण

47

JALAUN

48

बिन्दु संख्या 10 चूना/फिनायल का छिड़काव

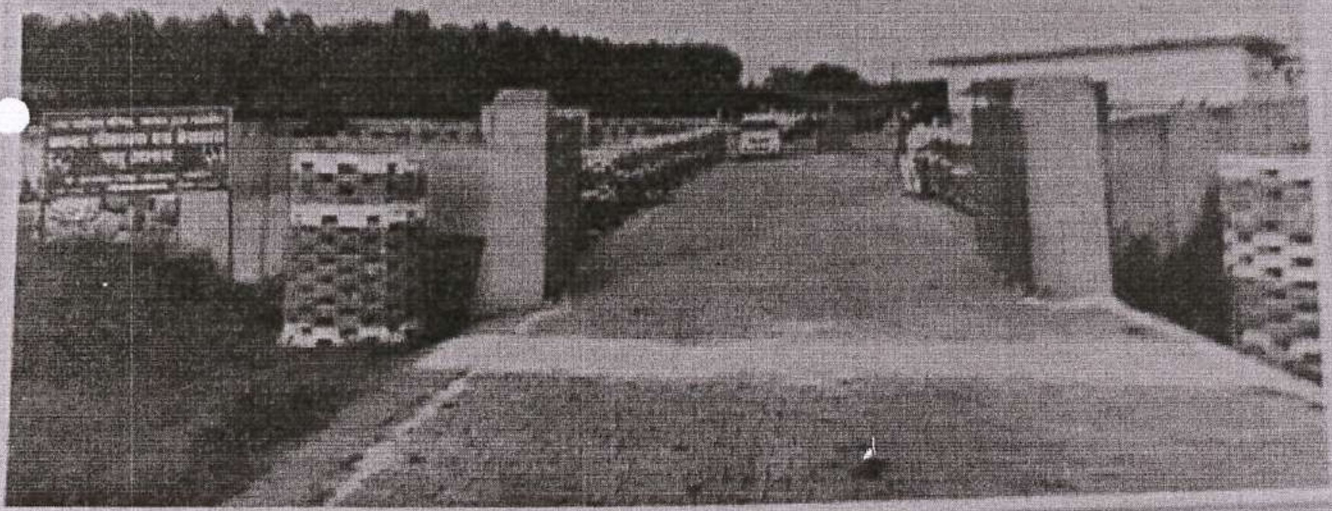

DUPTY C.V.O
JALAUN

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, [illegible]

बिन्दु संख्या 11 वातावरण को शुद्ध रखने की व्यवस्था

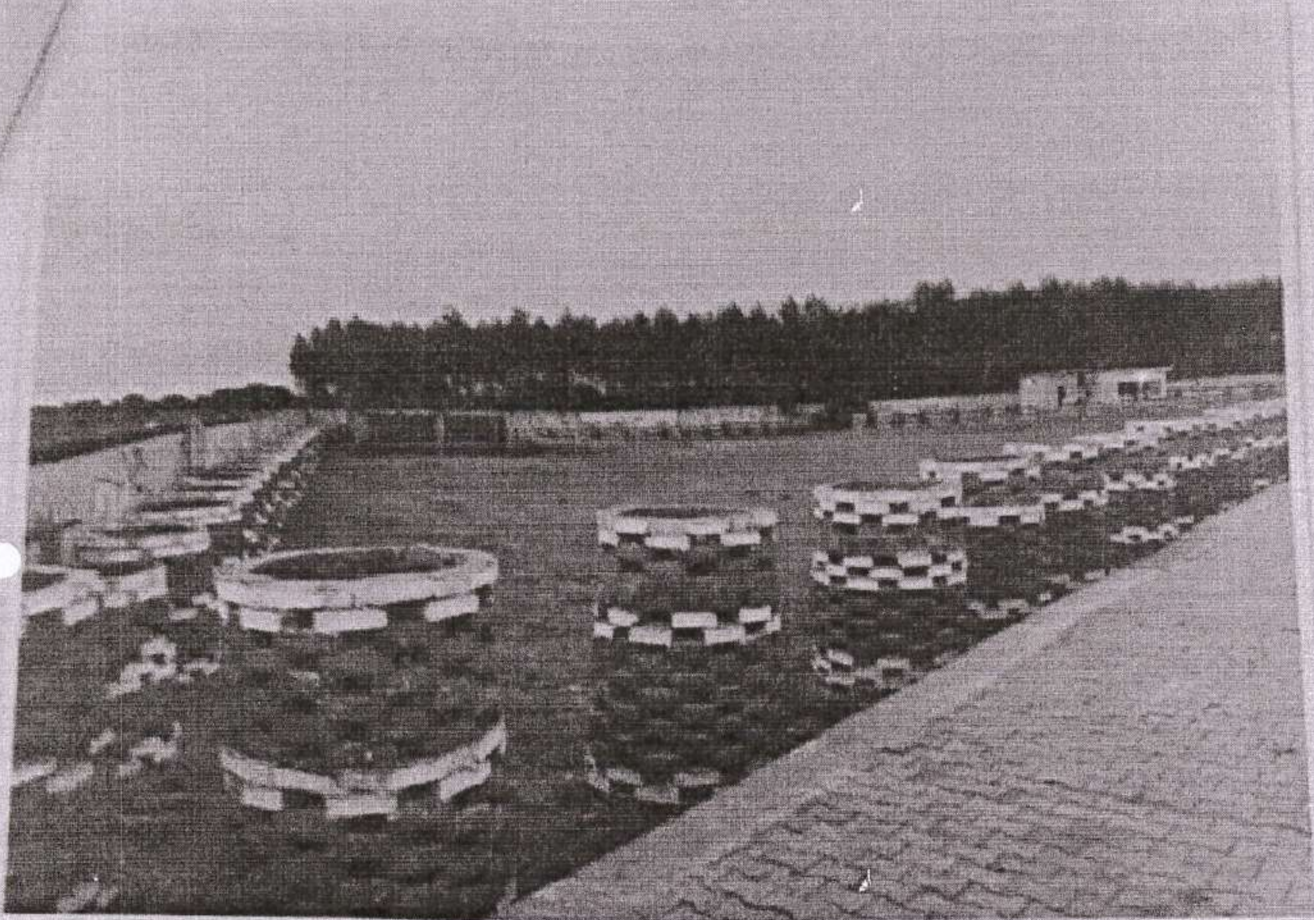

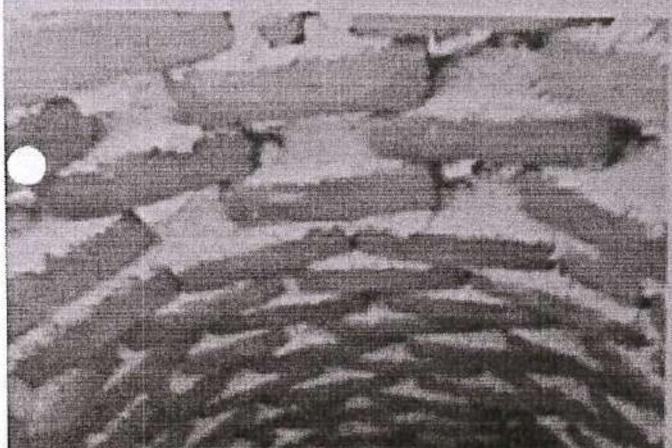

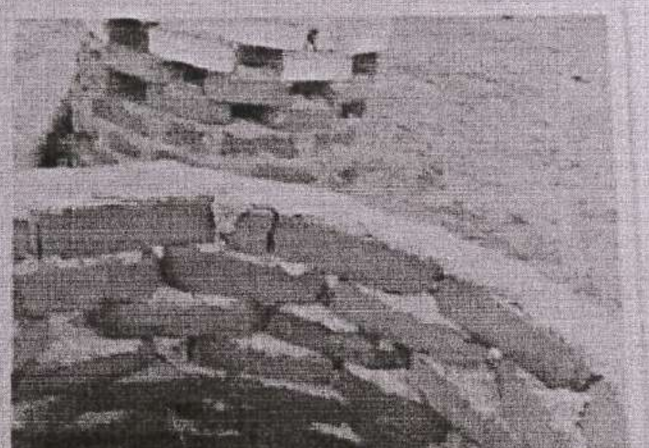

DEPUTY C.M.O
JALAUN

अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जालौन

बिन्दु संख्या 13 गोबर गैस प्लांट

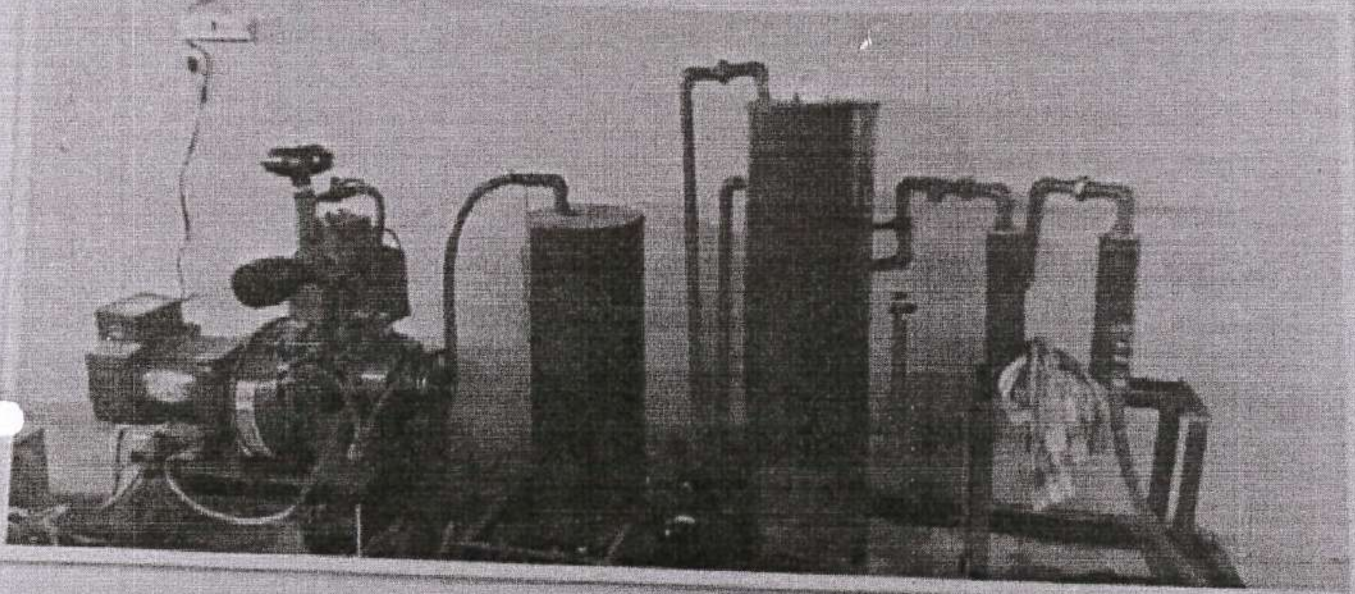

DUPTY C.V.O
JALAUN

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जालौन

बिन्दु संख्या 14 चारागाह

51

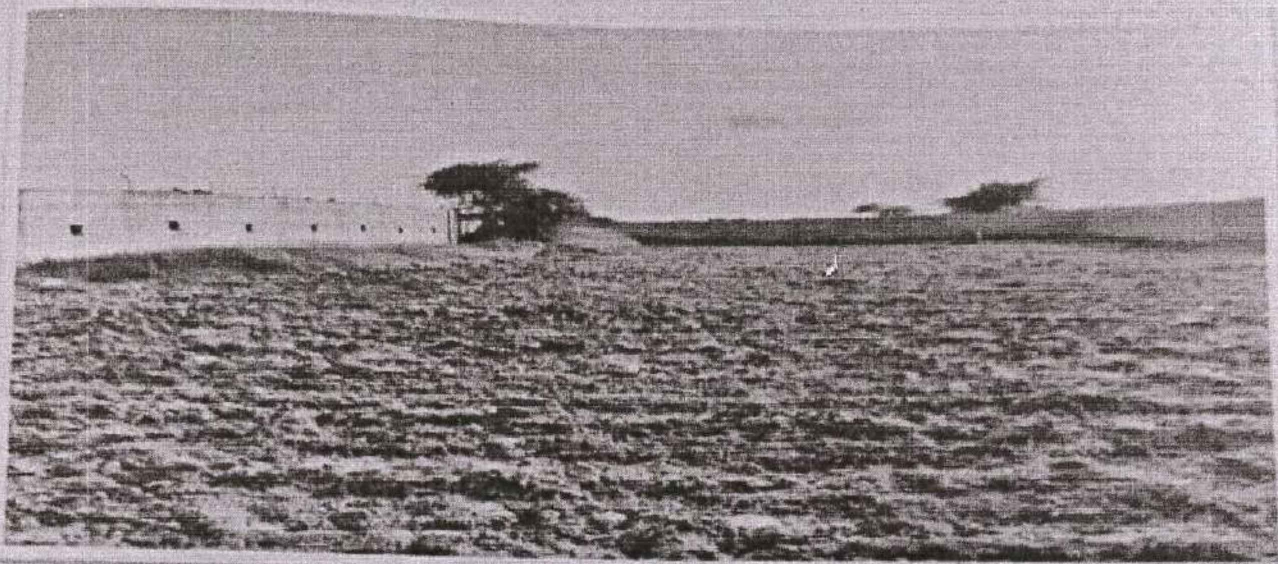

JALAUN

पालिका परिषद, जालौन

Annexure-R/21-6

52

कार्यालय– मुख्य विकास अधिकारी, जालौन स्थान उरई।

पत्रांक 114 /एसटी–सीडीओ/जि0निरीक्षण/2022–23 दिनांक 30 जून 2022

1–मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2–परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0
3–मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
4–जिला पंचायत राज अधिकारी
5–खण्ड विकास अधिकारी कदौरा
जनपद–जालौन ।

आपके साथ अधोहस्ताक्षरी को भी पृष्ठांकित जिलाधिकारी महोदया के पत्र संख्या–802/ओ0एस0डी0 दिनांक 24.06.2022 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा दिनांक 19.06.2022 को ग्राम पंचायत आटा विकास खण्ड कदौरा के विकास कार्यो का आकस्मिक निरीक्षण कर निरीक्षण में पायी गयी कमियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदया द्वारा ग्राम पंचायत आटा में किये गये निरीक्षण मे आपके विभाग से सम्बन्धित उनके द्वारा पायी गयी कमियों का तत्काल निराकरण कराकर कृत कार्यवाही से जिलाधिकारी महोदया/अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 अमय कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य विकास अधिकारी
जालौन स्थान उरई।

पृ0सं0 :– दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी महोदया, जालौन स्थान उरई की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

735
01.7.2022

मुख्य विकास अधिकारी
जालौन स्थान उरई।

Annexure - R21/7 53

जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 29-07-2022 को सायं 06:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में स्थायी/अस्थायी गौ आश्रय स्थल सम्बन्धी जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की त्रिमासिक बैठक पर सभी नोडल जिला स्तरीय अधिकारियों, उपजिलाधिकारियों, समस्त खण्ड विकास अधिकारियों एवं समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद तथा गौशाला सम्बन्धी समस्त अधिकारियों के साथ

समीक्षा बैठक की कार्यवृत्तिः-

01-गौ आश्रय स्थलों में गौवंश संरक्षण एवं संचालनः- वर्तमान में गौ आश्रय स्थल (शहरी क्षेत्र) को छोड़कर अधिकांश ग्रामीण गौ आश्रय स्थलों में गौवंश संरक्षित नहीं है के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया ने निर्देश दिए है कि सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद में दो सप्ताह में प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत निराश्रित/वेसहारा गौवंश को गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी तदानुसार अनुपालन करायें।

(समस्त अधिशाषी अधिकारी न0पंचा0/न0पा0परि0/समस्त ख0वि0अ0/जिला पंचायत राज अधिकारी)

02-भूसा क्रय/ई-टेन्डरिंगः-जिला विकास अधिकारी नोडल भूसा क्रय ने सदन को अवगत कराया कि विकास खण्ड स्तर पर भूसा क्रय हेतु तीन वार ई-टेन्डर आमन्त्रित की गई है। किन्तु किसी भी विकास खण्ड पर एक भी निविदा प्रेषित नही की गई है, इस पर जिलाधिकारी महोदया ने जिला विकास अधिकारी को भी निर्देश दिए कि गेहूँ का भूसा मिश्रित भूसा (सरसो का भूसा छोड़कर), हे कुट्टी की ई निविदा सभी स्थानीय एवं अन्य जनपदो के पशु चारा भूसा व्यापरियों से सम्पर्क स्थापित कर पुनः एक वार विकास खण्ड स्तर पर क्रियान्वित करें। इस कार्य को गम्भीरता से नहीं किया गया है। विलम्बत्म एक सप्ताह में टेन्डर फाईनल करना सुनिश्चित करें।

(समस्त खण्ड विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी)

03-गौ आश्रय स्थल का संचालन सम्बन्धी विभिन्न स्तरों पर गठित अनुश्रवण/मूल्यांकन एवं समीक्षा समितियों को सक्रिय करने के सन्दर्भ में:-इस सम्बन्ध में जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय, विकास खण्ड स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय गठित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समीक्षा समितियों को सक्रिय करने हेतु जिलाधिकारी महोदया ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी समस्त उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारियों, विकास खण्ड स्तरीय उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारियों, ग्राम स्तरीय पशुधन प्रसार अधिकारियों एवं अन्य विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया, कि शासन की व्यवस्था अनुरूप निर्धारित समयावधि के अन्तराल पर समितियों की नियमित बैठको का अनिवार्य रूप से आयोजन कर बैठक कार्यवृत्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाय, इस में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं है।

(समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/अपर जिलाधिकारी)

04-निराश्रित गौवंश का चिन्हांकनः-जिलाधिकारी महोदया ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी ग्रामों में मुनादी कराकर पशुपालकों को सूचित करे कि वे अपने निजी गौवंश को घर पर बांध ले और शेष निराश्रित बेसहारा गौवंश को गौ आश्रय स्थल में संरक्षित करने का अभियान चलाये तथा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित कराये गए गौवंश की शत प्रतिशत टैगिंग कर चिन्हांकन का कार्य अविलम्ब पूर्ण करें।

(जिला पंचायत राज अधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी)

05-गौ आश्रय स्थलों में गौ सेवक एवं चौकीदार की स्थापनाः-समस्त संचालित गौ आश्रय स्थलों में गौवंश की संख्या के अनुरूप गौ सेवकों एवं एक चौकीदार की व्यवस्था करते हुए उनका नाम, पता एवं मोबाइल न0 की सूची समस्त खण्ड विकास अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराये जिसका उपजिलाधिकारियों द्वारा अनुश्रवण भी नियमित रूप से कराया जाय। और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि समस्त गौ सेवको एवं चौकीदारो को गौ आश्रय स्थल में कार्य करने हेतु अपने स्तर से प्रशिक्षित कराना सुनिश्चित करें। सूची को प्रत्येक गौ आश्रय स्थल पर लगाया जाएगा तथा सूची सम्बन्धित उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी पुलिस को भी दिया जाएगा।

(समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त अधिशाषी अधिकारी न0पं0/न0पा0परि0/समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/समस्त क्षेत्राधिकारी पुलिस)

Annexure - R/21 - 8

54

कार्यालय जिलाधिकारी,
जालौन

पत्र संख्या : — /ओ0एस0डी0 दिनांक : जुलाई 31, 2022

आदेश

क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान यह पाया गया है कि गौ-वंश अनियंत्रित रूप से भ्रमण कर रहे हैं और इन्हें एक तो समय से चारा-पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, दूसरा इनके बीमार होने पर समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। अतः संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत/ संबंधित खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी नगर निकाय/विकास खण्ड में अनियंत्रित रूप से विचरण कर रहे गौ-वंश को समीपस्थ अस्थाई/स्थाई गौशाला/गौ-आश्रय स्थल/कान्हा गौशाला में संरक्षित करा दिया जाय तथा इनका इन्द्राज गौशाला के अभिलेखों में सुनिश्चित करा दिया जाय। संरक्षित किये जाने वाले गौवंश की सूचना प्रतिदिन सायंकाल मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/अपर जिलाधिकारी(वि0एवं रा0) एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सूचना संकलित कर प्रतिदिन सायंकाल अधोहस्ताक्षरी के कैम्प कार्यालय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चत करेंगें।

संबंधित अधिशासी अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी सुनिश्चित करेगें कि यह कार्यवाही आगामी दो सप्ताह में पूर्ण कर ली जाय और दो सप्ताह के उपरान्त कोई भी गौवंश अनियंत्रित तरीके से विचरण करता हुआ न पाया जाय। यदि भ्रमण के दौरान कोई गौवंश विचरण करता हुआ पाया जाता है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध सक्षम स्तर से कार्यवाही कराया जाना प्रशासनिक बाध्यता होगी।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित पशु चिकित्साधिकारियों/ पशुधन प्रसार अधिकारियों को निर्देशित करें कि गौशालाओं में संरक्षित गौवंश का आवश्यकतानुसार उपचार करते रहें।

मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0एवंरा0) एवं संबंधित उप जिलाधिकारी अपने भ्रमण के दौरान गौशालाओं का आकस्मिक निरीक्षण करते रहेगें।

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन।

जि0प्र0 को

CVO
01-8-2022 (961)

गौशाला में गौवंश को चारा खिलाये जाने हेतु चरही का निर्माण कराया गया तथा टीन शैड भी बनाया गया है। पशुओं को पानी मुहैया कराये जाने हेतु समरसेबिल डाला गया है, जिससे पानी की कोई असुविधा नहीं है। गोशाला परिसर में भूसा अनुरक्षित किये जाने हेतु भूसा घर का भी निर्माण कराया गया है।

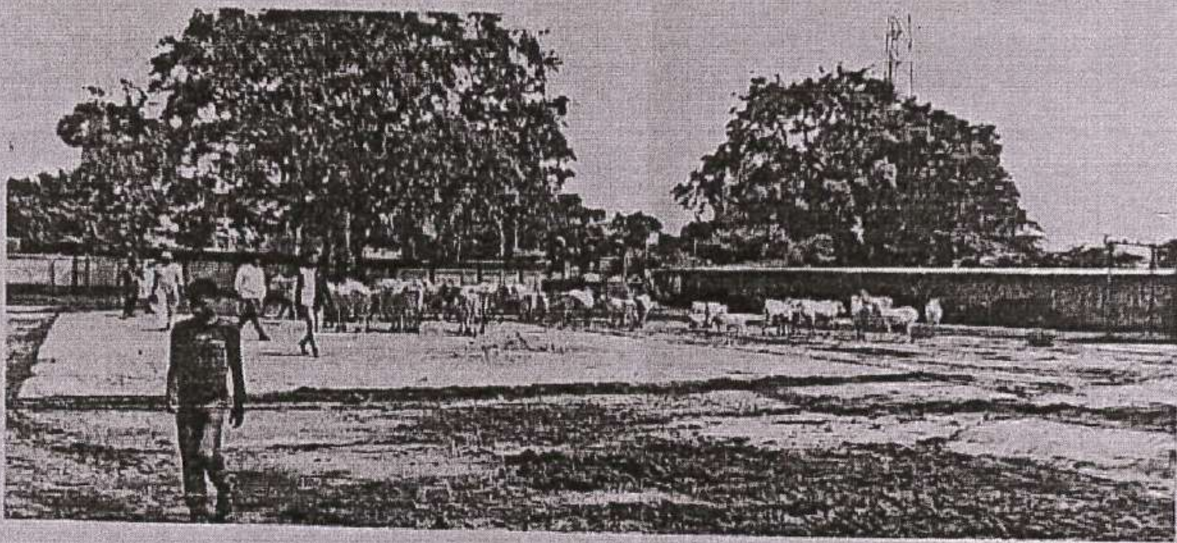

गौशाला परिसर में बनाये भूसा घर का निरीक्षण किया गया जिसमें लगभग 40–50 कु0 भूसा भण्डारित होना बताया गया। मौके पर गौशाला के निरीक्षण पंजिका, गौंवश संरक्षित की पंजिका, भूसा–चारा की पंजिका मांगी गयी, जो गौशाला में उपलब्ध नहीं पाई गयी। ग्राम प्रधान द्वारा उक्त अभिलेख मंगवाकर दिखाने हेतु बताया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर 20–25 गौवंश संरक्षित पाये गये। गौशाला में संरक्षित पशुओं की देख–रेख श्री विमलकिशोर द्वारा की जाती है। गौपालक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उसके द्वारा संरक्षित गायों को समीप के बीहड़ क्षेत्र में ले जाया जाता है और सायंकाल तक वापस उन्हें गौशाला में संरक्षित कर दिया जाता है। इस संबंध में श्री विमल किशोर को निर्देशित किया गया कि पशुओं को चराने के दौरान किसी कृषक का कोई नुकसान न होने पाए। श्री विमल किशोर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उसे प्रति माह मु0 7,500.00 रू0 पारिश्रमिक उपलब्ध कराया जाता है।

Annexure - R21-9

56

निरीक्षण टिप्पणी गौशाला छौंक जनपद जालौन।

आज दिनांक 08.08.2022 को मुख्य विकास अधिकारी,जालौन के साथ गौशाला छौंक का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डा0 अवधेश निरंजन, जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी कदौरा, श्री नवीन कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती लज्जा उपस्थित रहीं। गौशाला काफी बड़ी जगह में बनी हुई है। गौशाला में प्रवेश करते हुये जल भराव पाया गया तथा उसके आगे गौंवश के पीने हेतु बनी पानी की हौदिया के आस-पास काफी कीचड़ व जल भराव पाया गया। मौके पर उपस्थित खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि गौवंश के पानी पीने हेतु बनाये गये पानी के भण्डारण हौद के आस पास गौंशाला परिसर में रखी इण्टर लॉकिंग को बिछा दिया जाय तो हौद के आस-पास हो रहे जल भराव की समस्या से निजात मिल सकता है और गौशाला में हो रही गंदगी से भी बचा जा सकता है। ग्राम प्रधान से अपेक्षा की जाती है कि गौशाला में जहॉं पर जल भराव हो रहा है, उन स्थानों पर मनरेगा अथवा ग्राम निधि से मिट्टी का भराव करा दिया जाय, तो संरक्षित गौवंश को बैठने में कठिनाई नहीं होगी। गौशाला में भूसा भण्डार स्थल, चरही तक पहुॅंचने के लिए कोई उपयुक्त रास्ता नहीं है। सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान गौशाला के प्रवेश द्वार से अन्दर जाने हेतु रखे इण्टरलॉक से 3-4 फुट की रास्ता बना सकते है।

जिलाधिकारी

PVO
16.8.22
1080

Annexure-R/21-10 आवश्यक/तत्काल

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन स्थान–उरई।

पत्र संख्या 468/21–एल0बी0ए0 उरई: दिनांक 26 अगस्त, 2022

57

समस्त अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
जनपद– जालौन।

विषयः– प्रदेश में गौवंश में Lumpy Skin Disease' (LSD) बीमारी की मिशन मोड में रोकथाम के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र 1593/सैंतीस–2–2022 दिनांक 23 अगस्त 2022 एवं तदक्रम में निर्गत जिलाधिकारी महोदय के आदेश पत्र संख्या 1046/ओ0एस0डी0 दिनांक 24.8.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा गौवंश में Lumpy Skin Disease' (LSD) बीमारी की मिशन मोड पर रोकथाम करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त प्रकरण में जिलाधिकारी महोदया द्वारा निम्न कार्यवाही भी किये जाने के निर्देश दिये गये हैः–

1– नगरीय क्षेत्रों में पशु मेला/पशु हाट का आयोजन नही किया जाये।

2– नगरीय क्षेत्रो की गौशालाओं में संरक्षित गौवंशों को गौशाला से बाहर नहीं भेजा जाये और न ही बाहरी या नये पशुओं को गौशाला में प्रवेश/संरक्षित किया जाये।

3– किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिये गौशालाओं में समुचित साफ–सफाई रखी जाये, मच्छरजनित रोगों से बचने के लिये गौशालाओं में फागिंग करायी जाये तथा नालियों में ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव किया जाये।

4– गौपालको के नाम व मोबाईल नम्बर की सूची इस कार्यालय को अवश्य भेजी जाये।

5– गौपालकों को उक्त बीमारी से बचाव आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कराया जाये। इस सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जालौन प्रशिक्षण हेतु योग्य पशु चिकित्सक की ड्यूटी लगाकर तिथि नियत करते हुये कस्बा उरई में प्रशिक्षण की कार्यवाही सम्पादित करायी जाये। प्रशिक्षण की तिथि की सूचना समस्त नगर निकायों को प्रेषित करते हुये इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करें और कृत कार्यवाही से अवगत कराये।

26/8/2022

अपर जिलाधिकारी (वि–रा)
जालौन स्थान–उरई।

प्रतिलिपिः–
1– जिलाधिकारी महोदया जालौन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जालौन को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/8/2022

अपर जिलाधिकारी (वि–रा)
जालौन स्थान–उरई।

L-LBA| 1383

Annexure-R21/11
58

कार्यालय जिलाधिकारी,
जालौन।

पत्र संख्या : /ओ0एस0डी0 दिनांक : अगस्त 31, 2022

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें,
जनपद जालौन।

समाचार पत्र दैनिक ग्रामीण सुबह, के अंक दिनांक 23.08.2022 में प्रकाशित समाचार "आवारा पशुओं ने उरई शहर की सडकों पर किया कब्जा, हादसों में हो रहा इजाफा गौशालाओं की स्थिति दयनीय" (संलग्न छायाप्रति) शीर्षक का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें उल्लेख किया गया है कि उरई शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा औन उनका आतंक का कहर अब इस तरह दिखने लगा है कि सडक पर बैठे पशुओं से घण्टों जाम लगा रहा है साथ ही पूरे जनपद में ऐसी कोई सडक नहीं है जिस पर पशु /गायें न होने हों।

721

L.B.A

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि समाचार में वर्णित तथ्यों की जॉच करते हुए नगर की सडकों पर विचरण कर रहीं आवारा पशुओं को गौशालाओं में संरक्षित कराकर उनके खाने पीने स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या 03 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक :– यथोक्त।

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी जालौन।

अपर जिलाधिकारी (वि०-रा०)
जालौन स्थान-उरई
31/8/2022

पत्र पृष्ठांकन संख्या 592 /ओ0एस0डी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि :–

1. अपर जिलाधिकारी (वि0एवं रा0), जालौन/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय कले0 उरई।
2. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद जालौन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जालौन।

1307

समस्त अधि० अधि०
न०पा०प० / न०पं०
हेतु अनुपालन सुनिश्चित करें।

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी जालौन।

अपर जिलाधिकारी (वि०रा०)
जालौन स्थान उरई
02/9/2022

Annexure - R21 - 12
59

कार्यालयः—जिलाधिकारी जनपद—जालौन

पत्रांक 1905/वृहद गौसंरक्षण केन्द्र/भूमि चिन्हाकंन/2022—23 दिनांक— 02.9.2022

01. उपजिलाधिकारी जालौन।
02. उपजिलाधिकारी माधौगढ।
03. उपजिलाधिकारी कालपी।
04. उपजिलाधिकारी कोंच।

विषयः— **निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु विकासखण्ड स्तर पर 2000—3000 गौवंश धारण क्षमता के वृहद गौआश्रय स्थलो की स्थापना हेतु भूमि चिन्हाकंन के सम्बन्ध मे।**

उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या 1253/सैतीस—2—2022—5(53)/2018टी0सी0—2 बी दिनॉक 03.08.2022 एवं निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उ0 प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1102/रा0—2/बारह—630/2021—22 दिनॉक 10 अगस्त 2022 के कम में निर्देश दिये गये है कि प्रत्येक विकास खण्ड में 2000 से 3000 गौवंश धारण क्षमता के वृहद गौआश्रय स्थलो की स्थापना की जानी है। जिसके लिए 25 एकड़ से 30 एकड़ तक भूमि की आवश्कता होगी, जबकि इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनॉक 29.07.2022 को कलेक्ट्रेट सभागार में गौआश्रय स्थल से सम्बन्धी बैठक में निर्देश दिये जा चुके है, परन्तु अभी तक विकास खण्ड जालौन, विकास खण्ड माधौगढ, विकास खण्ड रामपुरा, विकास खण्ड कोंच, विकासखण्ड कदौरा, एवं विकासखण्ड महेवा में अभी तक वृहद गौसंरक्षण केन्द्र के स्थापना हेतु भूमि का चिन्हाकंन नही हुआ है।

उक्त के सम्बन्ध में आप को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर विकास खण्ड जालौन, माधौगढ, रामपुरा, कोंच, कदौरा, एव विकासखण्ड महेवा में 2000 से 3000 गौवंश की क्षमता के लिए वृहद गौसंरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु 25 से 30 एकड़ भूमि का चिन्हाकंन का प्रस्ताव अधोस्ताक्षरी को प्रेषित कराना सुनिश्चित करे, ताकि चिन्हाकित भूमि का पुर्नग्रहण पशुपालन विभाग के पक्ष में किया जा सके।

जिलाधिकारी
जनपद—जालौन

पत्रांक /उक्त / 2022—23 दिनाक—

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
01. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जालौन।
02. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जालौन।
03. मुख्य विकास अधिकारी जालौन।
04. अपर निदेशक ग्रेड—2 पशुपालन विभाग झॉसी मण्डल झॉसी।
05. निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उ0 प्र0 लखनऊ।

जिलाधिकारी
जनपद—जालौन

6.

60

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 394/2022

Pushpendra Kumar .....Applicant

VERSUS

Block Development Officer, Kadaura & Ors. ....Respondents

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We Chandani Singh, IAS, District Magistrate __________ __________ the above named ______________ do hereby appoint:-

Mr. Shwetank Sailakwal
Mr. Vibhor Verdhan,
Mr. Narendra Kumar Srivastava, Mr. Zaid Raza
Advocates MS. Zeb Hasan
B-3, 3rd floor, Opp. Kashmiri Park,
Jangpura Extension, New Delhi:- 110014
Mobile:- 9990803222, 9711961483
Email:- shwetanksailakwal@gmail.com
vibhor_verdhan@yahoo.com/

ADVOCATES WELFARE FUND DELHI 5 Rs.5 3590035 FIVE RUPEES

ADVOCATES WELFARE FUND DELHI 10 Rs.10 0591763 TEN RUPEES

ADVOCATES WELFARE FUND DELHI 10 Rs.10 0591764 TEN RUPEES

(herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above noted case authorized him :-

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/ us.

To sign, file verify and present pleadings, appeals cross objections or petitions for execution review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings.

The deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practioner, authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think it to do so and to sign the Power of Attorney on our behalf.

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts. as if done by me/us to all intents and purposes.

And I/We undertake that I / we or my /our duly authorized agent would appear in the Court on all hearings and will inform the Advocates for appearance when the case is called.

And I /we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain himself.

And I /we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid. I /we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever. If the case lasts for more than three years, the advocate shall be entitled for additional fee equivalent to half of the agreed fee for every addition three years or part thereof.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my /our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 30 day of September 2022

Accepted subject to the terms of fees.

Sailakwal D/810/08

D-2725/09

मो० 9454417548

Hasan D-4073/20

D/1892/2019

(Chandani Singh)

Service Proof

61

Gmail

berendra negi <berendranegi51@gmail.com>

Reply on behalf of Respondent No. 21, District Magistrate, Jalaun in OA/394/2022 Cause Titled Pushpendra Kumar -Vs.- Block Development Officer, Kadaura & Ors. NDOH:- 17/11/2022.

1 message

berendra negi <berendranegi51@gmail.com> Mon, Oct 10, 2022 at 6:27 PM
To: "advranjan.rai@gmail.com" <advranjan.rai@gmail.com>

With Regards,

Berendra Singh Negi,
P.A. to:-
Mr. Shwetank Sailakwal
AoR, Supreme Court
Mr. Vibhor Verdhan,
Advocate

Office at:-
B-3, 3rd Floor,
Opp. Kashmiri Park,
Jangpura Ext.
N.D.-14
Mob No. 9870423671

Reply Respondent 21.pdf
16337K